खण्ड–5, अक–4
गुरुवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1923
(21 मार्च, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2002)

(खण्ड 5 में 5 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	...	"क"
प्रश्नोत्तर	...	1—9
उत्तरांचल में कार्यरत शिक्षकों/निगमकर्मियों को पंचम् वेतनमान की सुविधा दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	9
पी0सी0आई0, नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमाधारी फार्मास्स्टिों को मान्यता दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	9—10
जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना को ठीक कराने तथा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	10
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क में वृद्धि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	10
जनपद हरिद्वार, रुड़की के हरजौली जाट में ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षारोपण में हरे पेड़ों के अवैध कटान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	-	11
नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	...	11
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	11—15
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)	...	15—16
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	...	17—45
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	46

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा देवी
6–(डॉ0) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री कैलाश शर्मा
9–श्री काशी सिंह ऐरी
10–श्री किशोर उपाध्याय
11–श्री कौल दास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14–श्री गोपाल सिंह
15–श्री गोविन्द लाल
16–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17–श्री चन्द्रशेखर
18–श्री जोत सिंह
19–श्री तसलीम अहमद
20–श्री दिनेश अग्रवाल
21–श्री तिलक राज बेहड़
22–श्री तेजपाल सिंह रावत
23–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24–श्री नव प्रभात
25–श्री नारायण पाल
26–श्री नारायण राम आर्य
27–श्री नारायण सिंह जंतवाल
28–काजी निजामुद्दीन
29–श्री प्रकाश पंत
30–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31–डॉ0 प्रताप बिष्ट
32–श्री प्रदीप टम्टा
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रीतम सिंह पंवार
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री फूल सिंह बिष्ट
37–श्री बलबीर सिंह नेगी
38–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री भगत सिंह कोश्यारी
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43–श्री महेन्द्र भट्ट
44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महु भाई)
45–श्री मातबर सिंह कण्डारी
46–श्री माल चन्द्र
47–चौधरी यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत सिंह
49–श्री राम प्रसाद टम्टा
50–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
52–श्री सुरेश चन्द
53–डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54–श्री शहजाद
55–श्री साधू राम
56–श्री शूरवीर सिंह
57–श्री सुबोध उनियाल
58–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60–श्री योगम्बर सिंह रावत
61–श्री हरबंस कपूर
62–श्री हरभजन सिंह चीमा
63–श्री हरिदास
64–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65–श्री हीरा सिंह बिष्ट
66–श्री हेमेश खर्कवाल
67–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला हरिद्वार में आम के बौर पर भुगना कीट की रोकथाम की जानकारी

**(1) काजी निजामुद्दीन–

क्या उद्यान मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल में सबसे अधिक आम के बाग जिला हरिद्वार में हैं?

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि खराब मौसम के कारण आम के बौर पर भुगना कीट लग रहा है?

यदि हां, तो इसकी तुरन्त रोकथाम के लिये सरकार कोई प्रभावी कदम उठा रही है ताकि किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान न उठाना पड़े?

क्या सरकार किसानों को कीटनाशक दवाएं छिड़कने की सुविधा उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

जी नहीं, देहरादून जनपद में आम का क्षेत्रफल हरिद्वार की अपेक्षा अधिक है।

जी हां।

जी हां, इस कीट पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु उद्यानपतियों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उद्यानपति हूं, औरों की बात मैं नहीं कह सकता। माननीय मंत्री जी बतायें कि मुझे क्या जानकारी दी गयी?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, भुगना एक विनाशकारी कीट है, उसकी जानकारी विभाग को है और विभाग ने समाचार–पत्रों के माध्यम से उद्यानपतियों को और कास्तकारों को इसके प्रकोप को दूर करने की जानकारी दी है और यह भी कोशिश की है कि हमारे उद्यानपतियों को जानकारी दी जाय। मान्यवर, आम के वृक्षों पर जिस समय बौर आती है, उस समय वृक्षों पर बीमारी लग जाती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या जानकारी दी गयी है? किन स्रोतों से आपने जानकारी दी है, यह कुछ पता नहीं है? मान्यवर, हमारा जिला हरिद्वार के उद्यानपतियों को ये पता नहीं है कि मैलाथीन का छिड़काव कैसे किया जाता है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, समाचार–पत्रों तथा जिला उद्यान अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गयी है और यदि किसी उद्यानपति को यह जानकारी नहीं दी गयी है, तो निश्चित रूप से यह कोशिश करेंगे कि बौर आते ही जिला उद्यान अधिकारी उद्यानपतियों को जानकारी देंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि जानकारी दी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानकारी दी गयी और इस बीमारी पर कितना नियंत्रण किया गया?

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब आम की फसल ही खत्म हो जायेगी तो क्या तब जानकारी देंगे?

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डॉ0 इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने उद्यानपतियों से सम्पर्क किया है। अभी बागों में बौर हैं, दवा छिड़कने से काम चल जायेगा। आपकी सूचना को गम्भीरता से लेते हुए विभाग को निर्देशित किया जायेगा कि आम के बागों की रक्षा के लिए दवा का छिड़काव करें।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, प्रश्न का उत्तर आया कि जी हां और इस पर तकनीकी जानकारी दी जा रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा हरिद्वार में तकनीकी जानकारी दी जा रही है, उन्होंने भ्रामक जानकारी के आधार पर कहा। मैं उद्यानपति तो नहीं हूं, अगर हरिद्वार में कोई जानकारी दी गई है तो संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवायें। जब बौर का नुकसान हो जायेगा तो इसका क्या फायदा? यह तो वैसा ही हुआ जैसा कि नैपाल में आग लगी थी, 6 महीने बाद आदेश आया था कि आग बुझा दी जाय। यदि यह उत्तर सही नहीं है, क्या सही उत्तर मानवीय मंत्री जी ने दिया, वह सही है?

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

माननीय सदस्य श्री निजामुद्दीन ने यह सूचना दी कि हमारे यहां छिड़काव नहीं हुआ है तो वह ठीक है, उनकी सूचना सही मानकर यदि छिड़काव नहीं हुआ है, यदि सरकार ने लापरवाही बरती है, सरकार ने इसे संज्ञान में ले लिया है, इसके लिए आज ही निर्देशित कर दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, श्री निजामुद्दीन जी ने पूछा कि हरिद्वार में सर्वाधिक आम के बाग हैं, वहां पर बौर को बचाने हेतु कोई जानकारी नहीं दी गई है। मान्यवर, कल को सेब के उद्योगपति आयेंगे, और भी फलों की बात है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका नीतिगत जबाब दें। सरकार फलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाये और उसके रख–रखाव की हिफाजत के लिए सरकार जल्द से जल्द विशेषज्ञों को बुलाये। हमारे उद्यानपति जिसमें विधायक भी हैं, उनको बुलाकर एक सम्मिलित नीति बनायें।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

माननीय, सभी तरह के फलों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नीति गत निर्णय लेकर जिसमें आपको तथा दलीय नेताओं को आमंत्रित कर इस पर सम्यक् विचार करने के बाद इस राज्य के हित में जो भी होगा, निर्णय लिये जायेंगे।

*श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आम के बाग ऊधमसिंह नगर में भी हैं। आम पर मुख्यतः तीन तरह के रोग लगते हैं जिसमें कैटर पिलर, घूंटी रोग तथा भुगना रोग आदि प्रमुख हैं। इनके रोकथाम के लिए साल में सात बार छिड़काव उद्यान मालिकों द्वारा किया जाता है। इनके रख–रखाव पर इतना खर्च आ जाता है कि उतने की फसल नहीं होती। पूर्व में उद्यान विभाग से, मालिकों को भी दवाएं दी जाती थी, जिससे उन्हें बड़ा लाभ होता था, किन्तु अब वह सुविधा हटा दी गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि सरकार निर्देशित करे कि यह पुनः प्रारम्भ किया जाए।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है। पूर्व में जो होता था, वही होगा। पहले जो नहीं हुआ, उसकी पूर्ति भी हम करेंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या सरकार किसानों को कीटनाशक दवाएं छिड़काव हेतु उपलब्ध करायेगी? जी हां, जी हां का क्या मतलब है? माननीया मंत्री जी ने हां कहा है। कब तक करायेंगे?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, आपकी चिन्ता सही है, निश्चित रूप से जो प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, उसको सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्दी ही इस पर कार्यवाही होगी। आज ही इस बारे में आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, शूटगाल रोग अगर लग गया तो उद्यान नाम की चीज ही उत्तरांचल से खत्म हो जायेगी। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। वह तो उद्यान के लिए एक एड्स है।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मैं अपने युवा सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनकी भावनाएं और उन्होंने जो सदन में इस रोग की सूचना दी, वह बहुत ही गम्भीर है। शासन, इस सम्बन्ध में पहल करेगा। आपने अभी कहा कि अगर इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम न उठाये गये तो उत्तरांचल से बागों का नामोनिशान मिट जायेगा। यह एक ऐसी स्थिति है, जिस पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गम्भीरता से विचार करना होगा। मैं विभागीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और अपनी ओर से भी यह कहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, वहां, तत्काल विशेषज्ञ भेजने का प्रबन्ध करें और एक सप्ताह के अन्दर आम के बागों का चाहे वह देहरादून में हों, ऊधमसिंह नगर में हों, वहां का अध्ययन कर शीघ्रातिशीघ्र जो भी उपाय सम्भव हों, वह किये जायें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय की टीम पिछले साल अक्टूबर में मंगलौर गई थी। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में जानकारी दी जाये।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, उसकी जानकारी उपलब्ध करा दीजिए, उस रिपोर्ट पर कार्यवाही होगी और जो माननीय नेता सदन ने बात की है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न

अशासकीय मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूल तथा इण्टर कॉलेजों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में अशासकीय मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों को सरकार अनुदान देने पर विचार करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

अशासकीय मान्यताप्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह विचाराधीन है। मान्यवर, एक बार एक माननीय नेता से पूछा गया कि आप ठण्डा पियेंगे या गरम तो उन्होंने कहा कि मैं विचार कर रहा हूं, आधा घण्टे के बाद पूछा गया तो उन्होंने फिर कहा कि मैं विचार कर रहा हूं। तो मान्यवर, यह तो विचाराधीन है, तो यह विचार कब तक किया जायेगा?

मान्यवर, उत्तरांचल के सभी अशासकीय विद्यालय बिना वेतन के चल रहे हैं। मान्यवर, वहां कोई कारखाना या उद्योगपति नहीं हैं, जनता स्वयं अपने चंदे से चलाती है। मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार अगर कुछ अनुदान दे देगी तो ये विद्यालय ठीक से चलने लगेंगे।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बड़ा अच्छा लगा कि श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, पिछले सत्र में लगातार मैंने चिन्ता व्यक्त की थी और आपने कहा था कि आठ विद्यालयों को ले लेंगे। तो यह तो लिये जायेंगे।

माननीय तिवारी जी के शासनकाल में आई, शिक्षा से जुड़ी रही हूं, विद्यालयों को अनुदान देने का जब यह प्रश्न उठाया गया था, अनुदान सूची में नहीं आया। यह सरकार अशासकीय विद्यालयों को क्रमशः अनुदान सूची में लेगी और उनकी घोषणा भी सदन में की जाएगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, कब तक?

*डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब बजट बनेगा। बजट के प्रावधान के बाद पूरा बजट रखा जाएगा। बिना बजट के घोषणा नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मुझे कष्ट इसलिए हुआ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, पिछले सत्र में बात हुई थी और निश्चित रूप से मेरे कैबिनेट द्वारा पास हुई थी, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हुआ था। (व्यवधान)

*डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप कहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य ने जो बात कही कि बिना किसी बजट के, व्यवस्था के, आपने घोषणा कर दी। सरकार, सरकार होती है। माननीय इन्दिरा जी अनुभवी हैं, परन्तु ऐसे कमेन्ट कर देना कि हम सब बेकार हैं, आखिर पूरी व्यवस्था बनाकर, अगला बजट हमारा कैसा होगा और उसके बाद अध्यापकों को वेतन दिया जाएगा, आखिर पूरी व्यवस्था करने के बाद हमने पंचम वेतन आयोग स्वीकार किया है। जब जुलाई आएगा (व्यवधान) इस प्रकार की, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, पूरी उसकी व्यवस्था की गई है जो यह प्रश्न आ रहा है, आप कह रहे हैं कि 42 विद्यालय हैं, उनकी चर्चा लखनऊ से चल रही है, मैं उसके बारे में पूरी चर्चा कर रहा हूं। मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, मैं तो सोच रहा था कि वह शिक्षा मंत्रालय ले लेंगी। (व्यवधान)

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अभी बाहर धरने पर बैठे रहे (व्यवधान) तो उस धरने के दौरान बाद में मुख्यमंत्री जी ने आदेश नहीं दिए थे (व्यवधान) कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अफसरशाही लागू है और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन वित्त–विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती और तत्कालीन मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं कि सदन को स्वयं गुमराह कर रहे हैं।(व्यवधान)

*श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे संज्ञान में यह आया है कि कुछ विद्यालयों को अनुदान श्रेणी में रखा गया है लेकिन वहां पर पद सृजित नहीं हुए हैं। तो, क्या सरकार वहां पद सृजित करने जा रही है?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारे पास इस समय अशासकीय मान्यताप्राप्त विद्यालयों की जो सूची है, उसमें हाई स्कूल में 16 और जूनियर हाई स्कूल में 40 के प्रस्ताव आए हैं और 2 संस्कृत विद्यालय भी हैं। मान्यवर, मैं माननीय कोश्यारी जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, दिनांक 23–12–2001 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में "मंत्रिपरिषद् द्वारा उपरोक्त विषय पर विचार किया गया। निर्णीत हुआ कि गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूलों/हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में व्यावहारिक मानक निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाय।" मान्यवर, यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् का है और 18 महीने में हमारे साथी जिस काम को नहीं कर पाये, उसी काम के लिए वह हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 18 दिन में कर देंगे। जिस तरह से यह निर्णय लिया गया है, इस पर हम आगे विचार करेंगे।

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 40 बताई और माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने इनकी संख्या 42 बताई, तो इनकी संख्या असल में कितनी है और दूसरा, यह कि इन विद्यालयों को किस क्रम में लेंगे, क्या आपने इसके लिये कोई गाइडलाइन बनायी है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 40 है। जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, उसी तरह से वरीयता क्रम में हम उनको स्वीकृत करने का काम करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक नीतिगत जानकारी चाहता हूं कि शिक्षा भारती एक संस्था है, उनके लिए भी यदि अनुरक्षण अनुदान की अनुशंसा की जाए तो क्या उनको भी मान्यता देने का काम सरकार करेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यदि वे प्रार्थना–पत्र देंगे तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद रुद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित करने के सम्बन्ध में

1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित न होने के क्या कारण हैं?

क्या जनपद रुद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कोई अधिकारी तैनात है?

यदि हां तो इन्हें किस पद के सापेक्ष वेतन मिल रहा है?

यदि नहीं तो क्यों?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

नवसृजित जनपद होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सम्प्रति सृजित नहीं हो सका है।

जी हां। श्री चित्रा नन्द काला, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इन्हें अपने मूल पद के सापेक्ष वेतन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय खेड़ीखाल धनपुर में अध्यापकों की नियुक्ति न होने की जानकारी

2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय खेड़ीखाल धनपुर में अभी तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है?

नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं?

सरकार अध्यापकों की नियुक्ति कब तक करेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय खेड़ीखाल धनपुर में अध्यापकों के पद सृजित नहीं हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खेड़ीखाल हेतु अध्यापकों के पद सृजन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

प्रदेश में राजकीय आदर्श विद्यालयों को परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में बदलने के सम्बन्ध में जानकारी

3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के 13 जनपदों में कितने राजकीय आदर्श विद्यालय हैं?

इनमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं?

कितने विद्यालयों के भवन बने हैं?

क्या सरकार भवनविहीन विद्यालयों में भवन निर्माण करवायेगी?

क्या सरकार राजकीय आदर्श विद्यालयों को परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में बदलने की कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल राज्य में 107 राजकीय आदर्श विद्यालय हैं।

इन विद्यालयों में 329 अध्यापक कार्यरत हैं।

सभी 107 विद्यालयों के पास भवन व्यवस्था है।

समस्त राजकीय आदर्श विद्यालयों के पास भवन उपलब्ध हैं।

जी नहीं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तरांचल के सभी भवनविहीन जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के 13 जनपदों में कितने जूनियर हाई स्कूल भवनविहीन है?

इन भवनविहीन विद्यालयों में गर्मी एवं वर्षा काल में छात्रों का पठन–पाठन कैसे एवं कहां होता है?

क्या सरकार ऐसे भवनविहीन विद्यालयों में भवन निर्माण करवायेगी?

यदि हां तो कब तक?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में 248 जूनियर हाई स्कूल भवनविहीन हैं।

भवनविहीन विद्यालयों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था निकटवर्ती पंचायत घर/प्राथमिक विद्यालयों आदि स्थानों पर ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से की जाती है।

जी हां।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनका निर्माण प्रस्तावित है। योजना अवधि 10 वर्ष है।

उत्तरांचल के सभी जनपदों में भवनविहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

5–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के 13 जनपदों में कितने प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन हैं?

इन विद्यालयों में गर्मी एवं वर्षा के मौसम में छात्रों का पठन–पाठन कैसे होता है?

क्या सरकार ऐसे भवनविहीन विद्यालयों में भवन निर्माण की कोई कार्य योजना बनाने जा रही है?

यदि हां तो उस कार्य योजना का स्वरूप क्या है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में 122 प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन हैं।

भवनविहीन विद्यालयों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था निकटवर्ती पंचायत घर आदि स्थानों पर ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से की जाती है।

जी हां।

इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राज्य के 6 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं अवशेष 7 जनपदों में सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत भवनविहीन विद्यालयों के भवन निर्माण की योजना है।

नियम 301 की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने मुआवजे के संबंध में सूचना दी है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। नियम 301 के अन्तर्गत कुल आठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं : माननीय सदस्य श्री नारायन सिंह जन्तवाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री कुंवर प्रणव सिंह, श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री महेद्र भट्ट जी की प्राप्त हुई है। इनमें से कुंवर प्रणव सिंह, श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना नियमानुसार नहीं है। मैं इन्हें अस्वीकृत करता हूं।

उत्तरांचल में कार्यरत शिक्षकों/निगमकर्मियों को पंचम् वेतनमान की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 301 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तरांचल में कार्यरत शिक्षकों तथा निगमों में कार्यरत कर्मियों को अभी तक पंचम वेतनमान की सुविधा प्रदेश में नहीं दी गई है। जबकि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को यह सुविधा दे दी गई है। उत्तराखण्ड की पूववर्ती सरकार द्वारा शिक्षकों/निगमकर्मियों को पंचम वेतनमान दिये जाने की घोषणा तो की गई परन्तु अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई है जिससे शिक्षकों/निगम–कर्मियों में घोर निराशा व्याप्त है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि शिक्षकों/निगमकर्मियों की इस न्यायोचित मांग को सरकार स्वीकार कर उन्हें अविलम्ब पंचम वेतन आयोग की सुविधा दी जाय।

पी0सी0आई0, नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमाधारी फार्मासिस्टों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नियम 301 की सूचना पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मेरे जनपद उत्तरकाशी में स्थित राजकीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

पॉलिटेक्निक से प्रति वर्ष 40 युवक–युवतियां फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, इसी तरह प्रदेश के अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालयों में भी फार्मासिस्ट का डिप्लोमा दिया जाता है, इस डिप्लोमा कोर्स की मान्यता के लिए पी0सी0आई0 (फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया), नई दिल्ली की मान्यता आवश्यक होती है। वर्ष 1998–99 के बाद से पी0सी0आई0 द्वारा इन डिप्लोमा धारकों को कोई मान्यता नहीं दी गई है। इस स्थिति के कारण प्रदेश के हजारों डिप्लोमाधारी फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं और उनमें निराशा, आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना को ठीक कराने तथा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 301 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र की परिन्दा पम्पिंग योजना का रा वाटर कई दिनों से खराब पड़ा है। जिस कारण ह्विल नदी का पानी नहीं चल रहा है और इस पम्पिंग योजना से लाभान्वित होने वाले गांव पेय जल संकट से जूझ रहे हैं। जहां एक ओर वर्तमान सरकार पेयजल सभी गांवों को उपलब्ध कराने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बन्द पेयजल पम्पिंग योजना को सही करने का सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, परिन्दा पेयजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को तीन माह से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया, पेयजल उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय जनता में बड़ा आक्रोश है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यानाकर्षण करने की कृपा करें।

हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क में वृद्धि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 301 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क में वृद्धि के कारण छात्र–छात्राओं के आक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रशासन द्वारा शुल्क 175 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर जहां एक ओर गरीब एवं निर्धन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वहीं छात्र–छात्राओं के आन्दोलन से भी प्रशासन आंख मूंदे है।

महोदय इस लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

श्री मातबर सिंह कण्डारी।

*कुंवर प्रणव सिंह–

मान्यवर, यह हमारी सूची में आ गया था, परन्तु स्वीकृत नहीं हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ0 इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कोई नोटिस माननीय सदस्य ने दी है, ध्यानाकर्षण का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी बात कहें।

जनपद हरिद्वार, रुड़की के हरजौली जाट में ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षारोपण में हरे पेड़ों के अवैध कटान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर प्रणव सिंह–

आदरणीय महोदय, दिनांक 19–03–02 बीच की रात्रि में जनपद हरिद्वार तहसील रुड़की के ग्राम हरजौली जाट में ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षारोपण में हरे पेड़ों का अवैध कटान किया गया है।

हरे पेड़ों को नष्ट करने के साथ–साथ ग्राम सभा को तथा वन विभाग को राजस्व की बड़ी हानि हुई है। हम प्रस्ताव करते है कि लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा की जाय।

मान्यवर, वर्तमान को जानने के लिए अतीत को जानना अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि भाई निजामुद्दीन ने अभी बताया कि कीटों के प्रकोप से आम के बगानों को नुकसान पहुंच रहा है, यह चिंता का विषय है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य है। पर्यावरण की समस्या से दो–चार होना सरकार का दायित्व भी है।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कंडारी की सूचना प्राप्त हुई है, जो अनुपूरक प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में है, नियमान्तर्गत नहीं है। अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मा0 सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री यशवीर सिंह, श्री निजामुद्दीन, श्री प्रकाश पंत, श्री नारायण पाल तथा श्री हरभजन सिंह चीमा, इन सूचनाओं में, मैं श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा हरभजन सिंह चीमा की सूचना को समाप्त करता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है, यह सभी विधायकों से सम्बन्धित है। मान्यवर, विधायक को प्रोटोकाल में भी काफी ऊंचा दर्जा है, संवैधानिक दर्जा है। मान्यवर, हम जब विधायक आते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको बाहर ही रोक दिया जाता है और सचिव को अंदर आने दिया जाता है। यह कैसी विडम्बना है? मान्यवर, इसलिये नियम 56 नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए विधायकों की गाड़ी को अन्दर आने दिया जाय, फिर गाड़ी बाहर खड़ी कर दी जायेगी। मान्यवर, यह प्रश्न कल भी उठाया था।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय से सम्बन्धित आदेश पर कल मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं, आज आदेश जारी कर दिया जायेगा।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है जो व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

जो भी आपकी समस्या है। कृपया मेरे कक्ष में आ जायें, वहां बात कर लेंगे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि राजाजी नेशनल पार्क जो पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर तीन हथनियां हैं, जिसमें चंचल नाम की हथनी की हालत खराब है, आज वह मरणासन्न की स्थिति में है, कल तो ऐसा लग रहा था कि वह मर जायेगी लेकिन उसमें थोड़ी सांस बची हुई है, विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। मुझे आशंका है कि विभाग द्वारा इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और ये जो हथनियां हैं और जैसा हम सोचते हैं कि राजाजी पार्क को पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जाये, लेकिन इसकी देखरेख के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा की जाये और इस समस्या को सुलझाने की कृपा की जाये।

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्या का आभार व्यक्त करता हूं, वह इस प्रकरण को हमारे संज्ञान में लायी हैं। मान्यवर, इस स्थिति को आज ही दिखवा लेते हैं। कल तक इसकी सदन को पूरी सूचना मिल जायेगी।

*श्री यशवीर सिंह–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में महालक्ष्मी शुगर मिल है, उसमें 295 कर्मचारियों को हटा दिया गया और वे लोग सड़क पर आ गये हैं, मिल मालिक को इसका अधिकार है लेकिन उनके स्थान पर पंजाब से दूसरे कर्मचारियों को रखा गया, दूसरे कर्मचारियों को रखना अवैधानिक है। मान्यवर, 5 नवम्बर से मिल का पिराई सीजन आरम्भ हो गया है। 6 नवम्बर को मिल के यूनियन के अध्यक्ष मिल के एम0डी0 से मिले और श्रमिकों को रखने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का आग्रह किया, उनसे आश्वासन मिला कि 3 रोज में रख लेंगे। 10 नवम्बर, 2001 को श्रमिक इकट्ठा होकर, गन्ना सचिव श्री ओमपाल सिंह भी थे, एम0डी0 से मिले जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में रख लेंगे। 18 नवम्बर को मजदूरों व किसानों ने गेट पर धरना देकर मिल के एम0डी0 पर दबाव डाला कि हटाये हुए लोग रख लिये जायं, फिर आश्वासन मिला कि रख लेंगे। डिप्टी लेबर कमिश्नर से मिले, उन्होंने लेबर इन्स्पेक्टर रुड़की को जांच के आदेश दिये और उनसे आख्या मांगी, उन्होंने आख्या दी कि गलत तरीके से निकाले गये हैं और मिल कर्मचारियों का यह बताया कि हम उनको रख लेंगे।

मान्यवर, 28 नवम्बर को मैं जब तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिला किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। 8 दिसम्बर को मिल प्रबन्धन के विरुद्ध एस0डी0एम0 और डी0एम0 आए किन्तु विफल हो गए। मिल के जो यूनियन के अधिकारी थे, वह 21 जनवरी को आमरण अनशन, हड़ताल पर चले गये। उनकी स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। डी0एम0, एस0डी0एम0 पुनः आए तथा आश्वासन दिया कि 3 दिन के अन्दर कर्मचारियों को रख दिया जायेगा, किन्तु नहीं रखा गया। इसके बाद सरकार बदल गई। सरकार का नेतृत्व दूसरे पक्ष के लोगों ने सम्भाला। 5 मार्च, 2002 को मिल प्रबन्धन को पत्र लिखा गया तथा पूछा गया कि किस धारा के अन्दर उनका वेतन रोका गया। क्यों न आप पर कार्यवाही की जाए। मिल के लोगों की सारी घटनाओं का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि उनके साथ न्याय हो सके। उन परिवारों का क्या होगा, जिन्हें 5 नवम्बर से वेतन नहीं मिला है। उनके स्थान पर जो व्यक्ति रखे गये हैं उनके पास असलहे हैं, मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन असलहों की जांच की जाए कि वे कहीं अवैधानिक तो नहीं हैं। मैं, फिर धन्यवाद देता हूं कि सरकार मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें पुनः सेवा में लिया जाये, उनको नौकरी में रखा जायेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरासिंह बिष्ट)–

मान्यवर, इस प्रकरण की सारी सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पिछले कुछ समय से काशीपुर कत्ल नगर बन गया है। मान्यवर, वहां के बहुत ही सम्मानित सदस्य श्री सूरज शर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस आज तक हत्यारों का पता नहीं लगा सकी।

*चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, यह घटना कब हुई, इसका उल्लेख भी करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार के कई कत्ल हो चुके हैं, किन्तु पुलिस उनका अभी तक पता नहीं लगा सकी। आज से हफ्ता–10 दिन पहले दो सिपाहियों का कत्ल हुआ। उस कत्ल की जांच हुई। उस जांच में पुलिस चालीस आदमियों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पकड़ कर ले गई। वहां की एक महिला जिनका नाम श्रीमती ईशा दत्त जोशी है, उनकी मेडिकल स्टोर की दुकान है। दो सब इंस्पेक्टर उनकी दुकान पर आए, उनसे अभद्रता करने लगे। सभी दुकानदार बाहर निकले कि क्या हो रहा है। उन्होंने उस लेडी के मुंह पर चांटा मारा और दुकान से बाहर घसीट कर ले गये।

श्रीमन्, जब वह लेडी मेरे पास रोती हुई आई तो मैंने सी0ओ0 को टेलीफोन किया और जब मैंने बात कहनी चाही तो उन्होंने टेलीफोन रख दिया। तो मान्यवर, यह इज्जत है विधायकों की। मान्यवर, जहां पर एक लेडी का सम्मान नहीं, वहां पर सुरक्षा ही नहीं रहेगी। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अगर विधायक का फोन पटक दिया जायेगा तो इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए और इस भ्रष्ट अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय हरभजन सिंह चीमा जी से हमारा व्यक्तिगत परिचय है और उनकी बात को मैं गम्भीरतापूर्वक ले रही हूं। मान्यवर, जो उन्होंने बातें कहीं, वह मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि वह नोटिस में नहीं है। मान्यवर नोटिस में यह है–

डा0 गणेश दत्त जोशी निवासी काशीपुर के पुत्र प्रवीण उर्फ पिंकू से, दिनांक 13–3–2002 को थाना कालाढुंगी के क्षेत्रान्तर्गत हुई दो सिपाहियों की हत्या की घटना के संबंध में, पूछताछ करने के लिए, पुलिस, दत्त मेडिकल स्टोर, चौराहा काशीपुर गई थी। मेडिकल स्टोर पर श्रीमती ईशा दत्त जोशी से, प्रवीण उर्फ पिंकू के विषय में पूछा गया। पुलिसकर्मियों द्वारा डॉ0 गणेश दत्त जोशी की पत्नी श्रीमती ईशा दत्त जोशी के साथ कोई अभद्र व्यवहार अथवा मारपीट नहीं की गई।

दूसरा, जहां तक प्रवीण जोशी उर्फ पिंकू का प्रश्न है, प्राप्त जानकारी के अनुसार वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं उसके विरुद्ध थाना काशीपुर में निम्नलिखित अपराध पंजीकृत हैं।

केस सं0 160/2000 अन्तर्गत धारा 302–201 आई0पी0सी0

केस सं0 1111/2000 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधि0

केस सं0 682/2001 अन्तर्गत धारा 307 आई0पी0सी0

केस सं0 650/2001 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 आई0पी0सी0

केस सं0 685/2001 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधि0

मान्यवर, यह सरकारी सूचना हमें प्राप्त हुई है और जिनके संबंध में पूछताछ की गई थी और जो गृह विभाग से सूचना प्राप्त की गई है, उसमें लिखा है कि कोई अभद्र व्यवहार अथवा मारपीट नहीं की गई है।

लेकिन माननीय सदस्य सदन को स्वयं सूचित कर रहे हैं, सदस्य की सूचना को यहां पर उसका संज्ञान लेते हुए हम इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेंगे और इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

जो सूचना वहां से आई है, वह पर्याप्त नहीं है।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यहां, जो उपलब्ध है, वह ही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरी सूचना भी थी, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और इसी प्रकार जो सूचना 301 पर उठाना चाहता था, इसको भी निरस्त कर दिया गया, और आपने कहा था कि इसका उत्तर मिल गया।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कौन सी सूचना?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, रुद्रप्रयाग की।

श्री अध्यक्ष–

पहले भी उठ चुकी है। नियम 56 की सभी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002

कृषि, कृषि विपणन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष जी–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति
(अल्पकालिक व्यवस्था)
(उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

(उत्तरांचल विधेयक संख्या : , सन् 2002)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा–2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द" 31 दिसम्बर, 2002 तक" रख दिये जाएंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित्त किया गया और सर्वसमति से स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (क्रमागत)

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात शुरु करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक दस्तावेज होता है या कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाने हैं, उनका ही एक दर्पण होता है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस का घोषणा–पत्र तैयार हो रहा था, उस समय शायद कांग्रेस के लोगों को भी यह मालूम नहीं था कि विधान सभा चुनाव के बाद आदरणीय तिवारी जी इस विधान सभा के नेता सदन बनेंगे और शायद आदरणीय तिवारी जी को भी यह मालूम नहीं था। जैसा कि कल सम्मानित सदस्य श्री निजामुद्दीन जी ने कहा कि वह करोड़पति से लखपति बनने जा रहे हैं। यदि ऐसा आभास माननीय तिवारी जी को होता तो शायद घोषणा–पत्र में वह चीजें न होती, जिन्हें तिवारी जी ने अभिभाषण से बाहर रखा है। अभिभाषण में बधाई के बाद जो पहला बिन्दु था, वह यह था कि हम उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखण्ड रखने का प्रस्ताव पास कर केन्द्र को भेजेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय तिवारी जी नेता सदन के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल का प्रस्ताव जब उत्तर प्रदेश से पास होकर केन्द्र सरकार के पास गया था, तो जिस समय लोक सभा में यह प्रस्ताव पास हो रहा था, उस समय आदरणीय तिवारी जी भी सदन के सदस्य के रूप में वहां पर उपस्थित थे। उसी समय इस विषय पर वहां चर्चा हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हरिद्वार के सम्मानित सदस्य ने प्रारम्भ में ही यह कहा कि हमने वहां पर इसका विरोध नहीं किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे और मेरे साथी जितेन्द्र प्रसाद जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, के द्वारा इस पर एक संशोधन दिया गया था। लोक सभा की वह कार्यवाही प्रकाशित हो चुकी है, उसका अवलोकन किया जा सकता है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष श्री कोश्यारी जी ने भी कहा कि हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं। यदि सरकार रोजगार से सम्बन्धित, शिक्षा से सम्बन्धित कोई नीति बनाती है, उत्तरांचल की जनता के हित में कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो हम सरकार के साथ खड़े हैं।

मान्यवर, लेकिन केवल सरकार का मकसद यह हो कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू किये गये हैं, उनका विरोध किया जाये। केवल विरोध के कारण विरोध किया जाये तो यह उचित नहीं है। आज ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। इस राज्य का नाम उत्तरांचल रहे या उत्तराखण्ड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता विकास की है। विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करें तो समझ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आता है। अभिभाषण में कानून–व्यवस्था को स्थिति के बारे में कोई योजना सरकार ने नहीं दर्शाई है। आज पूरे उत्तरांचल में कानून–व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसा लगता हैं कि जैसे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। मान्यवर, मैं हरिद्वार के बारे में कहना चाहता हूं। यह जिला जनसंख्या की दृष्टि से पूरे उत्तरांचल में दूसरे नम्बर पर आता है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तब भी कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, जितनी कि आज है। हरिद्वार जनपद की सीमा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर जिलों को स्पर्श करती है जो अपराध बाहुल्य जिले हैं। पिछली सरकार ने दर्जनों ऐसे लोगों को जो इन जनपदों में अपराध करने के बाद हरिद्वार में आकर छिप जाते थे, उन्हें मुठभेड़ों में मार गिराया गया। परन्तु पिछले 15–20 दिनों में जो स्थिति कानून व्यवस्था की बन गई है, वह बहुत ही दयनीय है। मान्यवर, हरिद्वार में 24 तारीख को श्री अशोक मेहता, श्रीमती पूनम मेहता और सोनम मेहता के घर के अन्दर ही उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना को आज 20–22 दिन होने वाले हैं परन्तु कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मान्यवर, हरिद्वार में हर की पौड़ी, जो हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। शाम के समय यदि माननीय सदस्य वहां जायें तो देखेंगे कि थैली, अद्धा, पौवा सब मिल जायेगा। मान्यवर, यह स्थिति हो गई है। लक्सर के सदस्य सामने बैठे हैं, उनके क्षेत्र की स्थिति भी ठीक नहीं है। उनके क्षेत्र में जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है और उनके पिताजी जब फोन करते हैं तो उसे नहीं सुना जाता है। दरोगा कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। सरकार ने अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं किया है कि हरिद्वार से कितने नये थाने खोले जायेंगे, कितनी चौकियां खोली जाएंगी। मान्यवर, पंचायत चुनावों के बारे में भी कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निदेश था कि 12 मई से पहले वहां पंचायत चुनाव हो जाने चाहिएं। लोग पूछते हैं कि क्या हरिद्वार में पंचायत चुनाव होंगे तो हम कहते हैं कि हम सरकार से बात करेंगे। मान्यवर, अभिभाषण में इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें आरक्षण किस व्यवस्था के अन्तर्गत होगा?

मान्यवर, आरक्षण किस व्यवस्था के अन्तर्गत होगा, इसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। हरिद्वार जनपद में पूर्व में जिला पंचायत चुनाव हुए थे, अब होंगे या उन्हीं को आगे बढ़ाया जायेगा, इस बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, दो लाख लोगों को रोजगार देने की कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है, कितने लोगों को पुलिस, क्लर्क, शिक्षा आदि में रोजगार देंगे, इसका भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, रोजगार देना अच्छी बात है, इम इसका स्वागत करते हैं।

मान्यवर, सिंचाई के बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हरिद्वार में 7.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 43 प्रतिशत सिंचित है। अभिभाषण में बताया गया है कि अधिकांश क्षेत्र प्लेन में है, हरिद्वार में गंगा नदी है, जो मुजफ्फरनगर से लेकर कानपुर तक सिंचाई करती है। परन्तु यह विडम्बना ही है कि यह नदी हरिद्वार में केवल तीन प्रतिशत भूमि को ही सिंचित करती है।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मुझे 5 मिनट और दीजिए। मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, हरिद्वार जिले के लिए कोई ठोस कृषि नीति बनायी जाय तो निश्चित रूप से

यह पूरे उत्तरांचल के लिए खाद्यान्न उत्पादन कर सकता है। मान्यवर, उत्तरांचल की जनता अत्यंत गरीब है, अभिभाषण में जो सेल्फ फाईनेंस की योजना है, उसको सरकार को वापिस लेना चाहिए, इस योजना को मैं समझता हूं कि सरकार को समाप्त करना चाहिए। हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ 2004 में होने जा रहा है। अभिभाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कुम्भ मेला लगता है, जहां करोड़ों–करोड़ लोग स्नान के लिए आते हैं, वहां दुर्घटनाएं घट जाती हैं, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे, यह भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, कुछ लोग हरिद्वार के उत्तरांचल में शामिल होने का विरोध कर रहे थे, लेकिन हरिद्वार की जनता ने इसे नकारते हुए उत्तरांचल में शामिल होना पसंद किया। हम उत्तरांचल के साथ रहना चाहते हैं और उत्तरांचल का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। मान्यवर, आज जो पुलिस में भर्ती हो रही है, उसमें लम्बाई 167.6 तथा 162 से0मी0 मांगी गयी है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि मैं इस सदन में कई माननीय सदस्यों से लम्बाई में छोटा हूं।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य कई जिलों को मिलाकर बना है, उसमें प्लेन और पहाड़ का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया हैं। मान्यवर, पर्यावरण के बारे में कल श्री निजामुद्दीन भी चिन्तित थे। मान्यवर, पर्यावरण के लिए इसमें दो बातें कही गई हैं। मान्यवर, लोगों को जागरूक बनाकर पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता है। पर्यावरण बचाना चाहते हैं तो सरकार को ठोस कार्य योजना अपने अभिभाषण में रखनी चाहिए थी। मान्यवर, अगर पॉलिथीन हटाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले व्यवस्था होनी चाहिए कि इसके स्थान पर हम किस चीज का उपयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हिन्द।

*श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं, सबसे पहले मैं उत्तराखण्ड के उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं, जिनकी शहादत और बलिदान से आज हम इस सदन में बैठे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 01 अक्टूबर, 1994 का वह शर्मनाक दिन, जब उत्तराखण्ड के हजारों लोग दिल्ली को कूच कर रहे थे और तत्कालीन सरकार ने जिस अमानवीय ढंग से हमारे नवजवानों पर गोलियां चलायी गई और हमारी माताओं और बहिनों की इज्जत लूटी गई, उससे आज भी उत्तराखण्ड की जनता शर्मनाक है। आज तक इस काण्ड के दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि वे प्रमोशन पाकर ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान कई लोगों को जेल के सीखचों में कूचा गया, बहुत से नवजवान आज भी अपंग बने हुए हैं, उनके खिलाफ उत्तराखण्ड में ही नहीं तमाम न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस लेने की सरकार की कोई मंशा है या नहीं, इसका उल्लेख माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया है। मान्यवर, कांग्रेस ने अपने घोषणा–पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आयेगी तो सबसे पहले राजधानी का निर्णय लेंगे मगर अभिभाषण में उत्तराखण्ड की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थायी राजधानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और मेरी जानकारी में देहरादून जो मितान्त अस्थायी राजधानी है, उसमें तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

बड़ी लम्बी लड़ाई लड़ी। ऐतिहासिक संघर्ष किया, 42 लोगों के बलिदान के बाद यह राज्य बना। इस राज्य के सबसे शोषित समाज को लाभ मिल सके, यह परिकल्पना हमने की थी। उसी के तहत हमने आंदोलन किया था। अगर उत्तराखण्ड को बचाना है तो उत्तराखण्ड में अनुच्छेद 371 लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड की सीमाएं नेपाल और चीन से लगी हुई हैं। यह अत्यंत संवेदनशीन है, देश में जब भी संकट आया, चाहे वह 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो तथा चाहे कारगिल संघर्ष हों, सबसे ज्यादा जवान इसी धरती के कटे हैं। माताओं की गोद सूनी हुई, बहनों की मांग का सिंदूर मिटा। अनुच्छेद 371 नहीं लगा तो जो आई0एस0आई0 का जाल फैला हुआ है, वह नेपाल के रास्ते, टनकपुर के रास्ते आकर अपना जाल फैला सकते हैं, जासूसी के अड्डे बन सकते है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में हजारों एकड़ जमीन पर हमारे यहां की गरीब जनता की अज्ञानता का लाभ उठाकर तमाम बिल्डरों ने उन जमीनों पर कब्जा करके अय्यासी का अड्डा बना दिया। चाहे वह कसारादेवी, कौसानी स्टेट, दोणागिरी के बगीचे हो, चम्पावत लोहाघाटा, गंगोत्री, यमुनोत्री हों, हजारों एकड़ जमीन भू–माफियों ने खरीद ली या कब्जा कर लिया। मेरा यह मानना है कि उत्तराखण्ड में जो भी जमीन खरीदे, उसे यह जानकारी अवश्य देनी चाहिए कि वह किस मकसद से जमीन खरीद रहा है। यह व्यवस्था अन्य राज्यों में है। उत्तराखण्ड में यदि अनुच्छेद 371 लागू नहीं किया गया तो यहां भी असम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसे गम्भीरता से लें। कल जब सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे तो अनुच्छेद 371 का उल्लेख अवश्य करें।

मान्यवर हमारे साथ तीन राज्य और बने, वहां के कर्मचारियों ने जहां का विकल्प दिया वे वहां भेज दिये गये। उत्तरांचल के साथ बने दो अन्य राज्यों, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में जिन कर्मचारियों ने जो विकल्प दिये, उन्हें वहां भेज दिया गया है। किन्तु उत्तरांचल में यह समस्या बनी हुई है।

मान्यवर, वे यहां पर काम भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा–हमारे लोक निर्माण विभाग में 1000 अवर अभियन्ता के पद, 300 सहायक अभियन्ता के पद, 50 अभियन्ता के हैं। इन कुल 1350 पदों पर 3 करोड़ रु0 मासिक वेतन के रूप में उत्तर प्रदेश संवर्ग के कर्मचारियों की वजह से अनावश्यक भार उत्तरांचल की सरकार पर पड़ रहा है। मान्यवर, यहां की जनता को राज्य बनने के बाद उम्मीद थी कि उनका राज होगा, लेकिन यह आशा निराशा में बदलती जा रही है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम उत्तराखण्ड में उद्योगों को बढ़ायेंगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को विकसित करेंगे। लेकिन मान्यवर, पिछले 55 वर्षों से उत्तराखण्ड के विकास का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में 3000 फिट से ऊपर बड़े व मझले उद्योग लगाने पर पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध है। विकास का मौजूदा ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। विकास के नाम पर आजादी के 55 वर्ष बाद भी गाय का ऋण, बैलों का ऋण, बढ़ई/लोहार का ऋण, इसके अतिरिक्त विकास की कोई योजना नहीं है। बैलों के ऋण

की हालत यह है कि जिस गांव में 40 जोड़ी बैलों के ऋण दिए गये हैं वहां 12 जोड़ी के बैल भी घटनास्थल पर नहीं हैं। शेष 28 जोड़ी के बैल, कौन खा गया, पता नहीं। तब इस विकास के ढांचे को मा0 मुख्यमंत्री जी कैसे बदलेंगे। वे दुनिया के विभिन्न प्रगतिशील देश में गये हैं, वहां की तकनीक पर उत्तराखण्ड में कुटीर उद्योगों का जाल फैलाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां, कताई, बुनाई, कालीन बुनाई सहित आधुनिक टैक्नालॉजी के साथ उद्योगों का जाल बिछाना होगा।

मान्यवर, उत्तराखण्ड में जड़ी–बूटियों के विकास व विपणन की बात की जोर–शोर से घोषणा की जाती रही है। परन्तु इस हेतु कोई ठोस नीति न होने से जड़ी–बूटी विकास कार्यक्रम एक सफेद हाथी बन गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा रानीखेत में भेषज विकास योजना के नाम से जड़ी–बूटी विकास योजना प्रारम्भ की गई। योजना की सफलता को देखते हुए 1965 में जड़ी–बूटी विकास योजना बनाई गई जिसमें नये पदों का सृजन किया गया। 1987 में भेशडा एवं जड़ी–बूटी विकास योजना के नाम से एक तीसरी योजना बनाई गई और पदों का सृजन किया गया और इन पुरानी योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देकर सीधी भर्ती कर दी गई। दूसरी ओर 1994 में शासन द्वारा जड़ी–बूटियों के विकास के नाम पर जड़ी–बूटी शोध संस्थान की स्थापना कर दी गई। जड़ी–बूटी शोध संस्थान के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाता है जबकि उक्त संस्थान में न तो निदेशक का कोई स्थाई पद है और न ही कर्मचारियों की नियुक्तियां ही की गई। परिणामतः प्रति वर्ष शोध संस्थान के नाम आवंटित बजट यात्रा भत्तों व सेमिनारों में ही व्यय हो जाता है। तब कैसे हम जड़ी–बूटी का विकास करेंगे? जड़ी–बूटी शोध संस्थान के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रु0 का बजट इस कार्य हेतु आवंटित कर दिया जाता है। मैं, मान्यवर के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त चारों योजनाओं का एकीकरण कर सहकारिता विभाग के अधीन भेषज एवं विकास योजना के नाम से चलाया जाए तथा उक्त विभागों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार पद आवंटित किए जाएं।

मान्यवर, राज्य में पंचायतीराज व्यवस्था हमारे विकास का सबसे आधारभूत ढांचा है। छोटा राज्य हो, छोटे जिले हों, छोटी तहसीलें हों, छोटे ब्लॉक हों, छोटी ग्राम पंचायतें हों। पिछली सरकार में जो पंचायतें छोटी थी, उनको और बड़ा कर दिया, जिससे लगता है कि पंचायतों का स्वरूप विकृत होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पंचायतें छोटी होनी चाहिएं, ग्राम सभाएं छोटी होनी चाहिएं। जिला पंचायतों का स्वरूप छोटा होना चाहिए। जिला पंचायतों और नए शहरों से परिसीमन करके ग्राम पंचायतों का चुनाव कराए जाने चाहिएं। मान्यवर, उत्तराखण्ड के सुदूर गांव में आज भी जैसे कि उत्तराखण्ड की संरचना है "पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी कभी बेकार नहीं जाती" बेरोजगारों के बूढ़े मां–बाप जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या वे असहाय हैं जिन्हें आज भी मात्र 125/– रु0 मासिक वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। मैं आपके माध्यम से आज की इस मंहगाई को देखते हुए रु0 500/– प्रतिमाह इन विधवाओं और असहायों को देने की यदि माननीय मुख्यमंत्री जी

घोषणा करें, तो मैं समझाता हूं कि बहुत बड़ा न्याय उन असहाय लोगों के प्रति होगा। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मै आपका आभारी हूं।

*श्री योगम्बर सिंह रावत–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सम्पूर्ण उत्तरांचल के चहुंमुखी विकास जन–आकांक्षाओं जन–अपेक्षाओं के अनुरूप है। मैं विकास पुरुष कर्मयोगी पं0 नारायण दत्त तिवारी एवं मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह अभिभाषण विकासोन्मुखी व उत्तरांचल के विकास के लिए बहु–आयामी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित सरकार के गठन के लिए यहां पर हम लोग निर्वाचित होकर आने के लिए मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हमको यहां पर विराजमान होने का गौरव प्रदान किया। राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तराखण्ड आंदोलन में शहीद हुए परिवारों व घायल हुए या जिनको क्षति पहुंची, उनके लिए अभिभाषण में प्राथमिकता दी गई, इसके लिए मैं पुनः अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी हमारे हरिद्वार के सम्मानित सदस्य ने नाम की यहां पर चर्चा की। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि नाम के आधार पर ही हम सब लोग निर्वाचित होकर यहां पर आए हैं, और आज जो कार्यकलाप यहां पर हम कर रहे हैं, वह भी नाम के लिए ही कर रहे हैं इसलिए मेरी दृष्टि में नाम का बहुत अधिक महत्व है। इन्द्र मणि बडोनी जी तथा अन्य लोगों ने राज्य के लिए जो आन्दोलन किया, वह उत्तराखण्ड के नाम से ही किया था। पौराणिक कथाओं तथा इतिहास में जिस नाम का उल्लेख है, आखिर उसको परिवर्तित करने का क्या औचित्य? इस राज्य के लिए यहां के कर्मचारियों, शिक्षकों, महिलाओं तथा बच्चों ने भी आन्दोलन किया है इसलिए निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के अनुरूप इसका नाम उत्तराखण्ड ही होना चाहिए। मान्यवर, मैं रामनगर से निर्वाचित होकर आया हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कार्बेट नेशनल पार्क की ओर ले जाना चाहता हूं। कार्बेट नेशनल पार्क के निकट जो गांव बसे हुए थे, उनको वहां से विस्थापित कर दिया गया था ताकि वहां का वातावरण दूषित न हो और जानवरों को स्वच्छन्द विचरण में परेशानी न हो। लेकिन आज 10 साल गुजरने के बाद भी इन गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का काम नहीं किया गया है, उन्हें भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है, जो कि स्वागत योग्य है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि रामनगर क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं, जिनका अभी तक विनियमितीकरण नहीं हो पाया है, उनको राजस्व गांव घोषित करने की कृपा करें ताकि वहां पर ग्राम पंचायत के गठन करने में सुविधा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रामनगर स्थित पटरा, लेटी, पाठकोट, चोपड़ा, नत्थावली आदि गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का कष्ट करें।

इसके अलावा मान्यवर, काशीपुर में गन्ना किसानों के हित में एक शोध संस्थान की स्थापना की गयी थी, जिसके माध्यम से गन्ने की नयी–नयी किस्में किसानों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपलब्ध करायी जाती थी। मान्यवर, 2–3 सालों से सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिससे शोध संस्थान बन्द हो गया है और गन्ने की फसल पर इसका कुप्रभाव पड़ा है। मान्यवर, बाजपुर में गन्ने की फसल में बीमारी लग गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देहरादून मुख्यालय बनने के बाद अब हमें आवागमन के साधन बढ़ाने की आवश्यकता है। मान्यवर, रामनगर, कुमायूं और गढ़वाल दोनों का द्वार है। इसमें हमें 2–3 जिलों का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि रामनगर से देहरादून तक मार्ग का निर्माण कराया जाये और रामनगर में रोडवेज का डिपो खोला जाये। मान्यवर, मेरा क्षेत्र भावर क्षेत्र है। मान्यवर, नदियां भावर में जवानी में होती हैं और तराई में ये समतल हो जाती हैं। हमारे क्षेत्र में कोसी नदी और अन्य बहुत से नाले हैं, जिनसे भूमि का कटाव होता है। हम चाहते हैं कि बाढ़ नियंत्रण की एक ठोस योजना बनाई जाये, जिससे भूमि कटाव को रोका जा सके। मान्यवर, मैं जनपद रामनगर में एस0डी0एम0 कोर्ट खोलने का अनुरोध करना चाहता हूं। मैं अधिक न कह कर पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपको धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

* श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ संख्या–1 में यह कहा गया है कि एक वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को नेता सदन चुना गया है और जो इस राज्य के लिए शुभ लक्षण है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल प्रदेश एक उपनिवेश प्रदेश है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी सन् 1947 के बाद प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मेरी नजर में यह बात दूर नजर आ रही है कि इससे उत्तरांचल की जनता को फायदा पहुंचा है, इसके क्या कारण रहे हैं। मान्यवर, मेरा लंढौरा क्षेत्र है, जो नदियों के कटाव से प्रभावित होता है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। हालत यह है कि दिन में लोग अपना खेत देखकर आते हैं, रात में जब बारिश होती है तो वह खेत बह जाता है। मान्यवर, घर के नजदीक तक नदी पहुंच गई है। इसकी देखभाल बाढ़ नियंत्रण द्वारा नहीं की जा रही है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो गांव नदियों के नजदीक आ गये हैं, उनका ध्यान रखा जाये। मान्यवर, मेरे लंढौरा क्षेत्र में 10–10 किलोमीटर दूर कोई इण्टर कॉलेज या हाई स्कूल नहीं है। इससे वहां की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कम से कम इण्टर कॉलेज की व्यवस्था की जाये, जिससे वहां के बच्चे उसमें पढ़ सकें।

मान्यवर, 20 साल से गरीब जनता के पट्टे जो लोग जोत रहे हैं, वह श्रेणी–3 में आते थे, उनको पिछले साल समाप्त कर दिया है। मान्यवर, मैं आपकी पीठ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे हरिद्वार जनपद में पेयजल योजना की बहुत बड़ी समस्या है, जितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं, उनमें से 70 प्रतिशत खराब हैं। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से हमारे जो नलकूप खराब पड़े हैं, उनको ठीक करने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं। हमारे ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विपक्ष ने रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभिभाषण में जिस बात को सबसे महत्व दिया गया है, वह है, उत्तरांचल का नाम बदलकर हम उत्तराखण्ड कर देंगे। मान्यवर, मैं नहीं समझता कि अनावश्यक ये विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? जहां तक उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखण्ड करने की बात है, यह सर्वविदित है कि कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं था, अगर लेना देना होता तो एक सितम्बर को खटीमा, और दो अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो घटना घटित हुई, उसके पश्चात् जगह–जगह कर्फ्यू लगाया गया, यहां के नागरिकों को जेलों में बंद किया गया, उस समय अगर यह सत्तापक्ष के लोग चाहते तो उस समय की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, उससे दंडित कर सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया, उन्हें संरक्षण प्राप्त होता रहा और वे निर्भीक रूप से यहां के भोले भाले आंदोलनकारियों का जबरन उत्पीड़न करती रही। मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस समय भी जब विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया...

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उस समय मायावती जी की सरकार थी, जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने अभी यहां पर कहा कि लोकसभा में उन्होंने संशोधन दिया था। मान्यवर, मात्र संशोधन देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, संशोधन देकर उसे प्रेस करना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात राज्य सभा में कांग्रेस बहुमत में है, विपक्ष में रहकर वह उस समय अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती थी और संशोधन पारित करवा सकती थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय सदस्य इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं, वह स्वयं इस बात को नहीं कहते तो मैं अभिभाषण के दौरान ही इसका उल्लेख करता। श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि जब यह प्रकरण खटीमा और मंसूरी में हुए, उस समय मैं सौभाग्य से कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते खटीमा गया और उसी दिन उत्तराखण्ड के समर्थन का जो निर्णय लिया गया, वह खटीमा में घोषित किया। उसके बाद दूसरे दिन मंसूरी गया, कांग्रेस कमेटी की ओर से गया, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी। माननीय सदस्य को याद होगा कि पांच लाख लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुजफ्फरनगर में एकत्र हुए, जिसमें उत्तरांचल कांग्रेस शामिल थी, उसमें रैली हुई और यह बात कही गई, सारा इतिहास मालूम हुआ, इस विषय पर मैंने समर्थन वापस लेने का निर्णय भी किया था। यह सब बातें हैं, उन सब बातों को जो पुरानी बातें हैं, किसे इन सब बातों को उठाकर दुखी करना है। यहां पर इसी लिए कल मैंने कहा है कि उलाहना यदि हम किसी दूसरी बात का करें तो अच्छा रहेगा।

मुझसे कम से कम भूल चूक हुई होंगी। जहां तक आपने लोकसभा और राज्य सभा की बात कही, यह संशोधन प्रेस किया गया, डिप्टी स्पीकर महोदय ने, यह देखते हुए, यह विधेयक पास हो, इस पर मतदान नहीं किया और संशोधन ध्वनि मत से गिर गया। माननीय जितेन्द्र प्रसाद जो आज दुर्भाग्य से जीवित नहीं हैं, उनके और हमारे संशोधन भी वहां पर गिर गये, इसमें प्रेस किया था। दूसरी बात यह है कि उस समय तीनों राज्यों को बनाने का निर्णय था कि बन जांय फिर हम एक साथ आपस में बातचीत करते रहेंगे। उत्तरांचल या उत्तराखण्ड विधेयक, छत्तीसगढ़ विधेयक और झारखण्ड विधेयक, झारखण्ड के बारे में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक याद दिलायें कि झारखण्ड का नाम बदलकर बनांचल रखा गया था। बनांचल का नाम झारखण्ड रखने पर सहमत हो गये हैं। इस प्रकार जनमत को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड रखने में सहमत हो जांय, यह आग्रह मैंने किया था। इसमें उनको निर्णय करने का अधिकार था, वह हुआ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, सम्पूर्ण तथ्यों को सारे वरिष्ठ सदस्यों के सामने रखने की बात की, मैं उनका आभारी रहूंगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आभारी हूं नेता सदन का, यद्यपि यह तथ्य सभी के संज्ञान में हैं। मेरा यह कहना था कि अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय की प्रदेश सरकार एक घंटे भी नहीं टिक सकती थी, जो अत्याचार अनावश्यक रूप से हुए थे, मुजफ्फरनगर काण्ड हुआ जो आज तक किसी भी प्रदेश या किसी देश के इतिहास में ऐसा जघन्य काण्ड नहीं हुआ।

मान्यवर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो नया राज्य बना है, उसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तथा यहां की समस्याओं को देखकर तथा जिस भावना को लेकर इस राज्य का गठन हुआ, मातृशक्ति ने उत्पीड़न सहकर तथा यहां के नागरिकों ने जो बर्दाश्त किया, उन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, इसका अनुमान लगाना कठिन है। अब हमें उनके सपनों को साकार करना होगा। यदि हम विवादों में पड़ जायेंगे तो निश्चित रूप से उत्तरांचल के विकास पर गतिरोध होगा।

***पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–**

मान्यवर, अभी जैसा कि हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, उससे लोगों की भावनाओं का ठेस पहुंची है। जिलाधिकारी व एस0पी0 आप की सरकार के प्रमोट किए हुए हैं, उनको प्रोन्नत किया गया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि नया राज्य है और समस्यायें बहुत गम्भीर हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमें जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, तो हमें नाम जैसे विवादों पर न पड़कर विकास के रास्ते पर चलना होगा। तभी विकास सम्भव होगा।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया। मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही विशेष पैकेज भी दिया, आर्थिक सहयोग दिया, परन्तु, केन्द्र सरकार के इस आर्थिक सहयोग पर हम कब तक चलते रहेंगे। हमें अपने आपमें आत्मनिर्भर बनने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आवश्यकता है। किस प्रकार से राज्य के आर्थिक श्रोतों को सुदृढ़ करें कि इस राज्य को विकास की ओर ले जाया जाये। अगर हम छोटे–छोटे विवादों में फंस जायेंगे तो निश्चित रूप से इसके विकास में अवरोध उत्पन्न होगा।

मान्यवर, जन आंदोलन के दौरान जो नवयुवक शहीद हुए, जो प्रताड़ित हुए, जिन्हें क्षति पहुंची। उनमें से कुछ को माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से सहायता दी गयी, उनके परिवारों को सहायता दी गयी और कुछ लोगों को पिछली सरकार द्वारा सहायता दी गयी। परन्तु आज भी ऐसे विकलांग नवयुवक हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, वे आज अपने परिवार पर निर्भर हैं। मान्यवर, इसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं पर नहीं है, मेरा अनुरोध है कि सरकार को उन्हें रोजगार देने की चिन्ता करनी चाहिए।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में तथा सत्ताधारी दल के घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि जो विकल्पधारी शिक्षक और कर्मचारी हैं, उन्हें 24 घण्टे के अन्दर विदा कर दिया जायेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस संबंध में जो लीपापोती की गयी है, उस लीपापोती से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, आज यहां के जो बेरोजगार नवयुवक हैं, वे इस बात की ओर निगाहें टिकाये हैं कि कब उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जब–कब उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, मात्र यह कह देना कि हम 2 साल में 2 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे, यह मात्र अपने आप में सक्षम नहीं है। हमें इसके साथ–साथ एक नीति घोषित करनी पड़ेगी कि कितने नवयुवकों को हम राष्ट्रीय सेवाओं में लेंगे, कितनों को हम निजी सेवाओं में संलिप्त करेंगे और कितनों को हम आर्थिक–पैकेज अर्थात् आर्थिक सहयोग/ऋण देकर उन्हें स्व–रोजगार में लगायेंगे। मान्यवर, इसके साथ–साथ जैसे मैने पूर्व में निवेदन किया, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखे, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, मैं अपने कुछ बिन्दुओं जो देहरादून से सम्बन्धित हैं, उनकी ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, यहां उत्तरांचल के नगर क्षेत्रों में जो सफाईकर्मी हैं, उनके लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है। आज यह अवसर था कि यह सरकार घोषणा करती कि हम क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों एवं नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां करेंगे। यहां का पर्यावरण साफ–सुथरा रखने के लिए यह आवश्यक है कि नगर क्षेत्र में जो कूड़ा आज एक समस्या बनता जा रहा है, उसके निस्तारण की कोई स्पष्ट नीति हमारे सामने आती, परन्तु मैं इसको विचार के लिए पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, देहरादून उत्तरांचल का एक मात्र नगर निगम है। परन्तु आज नगर निगम को बने हुए इतना समय बीत जाने के बाद आज तक जो नए क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हुए थे, उनके सुधार के लिए, विकास के लिए, कोई नीति नहीं घोषित की गई। पिछली सरकार ने जब 1,75,00,000/– रु0 रिवाल्विंग फण्ड से उपलब्ध कराया था, वह उन क्षेत्रों के लिए था जो नगरपालिका में कुछ ग्राम सभाएं जुड़ी थी। मान्यवर, यह अनुरोध है कि यह उपरोक्त धनराशि जो 31 मार्च को लैप्स हो जाएगी। विभिन्न स्तरों पर सरकार के पास यह पैसा लटका हुआ है, कुछ आचार संहिता की वजह से कार्य नहीं हो पाया, मान्यवर, धनराशि को नगरपालिका, नगर निगमों को अवमुक्त किया जाए ताकि वे अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकें। आचार संहिता की वजह से वे काम

चुनाव के समय नहीं हो पाए, परन्तु आज भी वे कार्य दोबारा नहीं शुरू हुए, इसकी हमें चिन्ता करनी चाहिए। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

आज हम महसूस करते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे अधिकारी रात–दिन काम कर रहे हैं, परन्तु मान्यवर, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि आज वे इस बात की चिन्ता में हैं कि कल उनका विभाग बदल जाना है, कल नए विभाग में जायेंगे। ये सभी इस उधेड़–बुन में लगे हैं कि किस प्रकार से आज के वर्तमान विभाग का दुरुपयोग कर सकते हैं। जहां तक देहरादून में, हरिद्वार में और नैनीताल में प्राधिकरणों की बात है।

मान्यवर, जिस नियोजित विकास की कल्पना को लेकर प्राधिकरणों का निर्माण किया गया था, आज इन क्षेत्रों के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि प्राधिकरणों के नियोजित विकास की धारणा जहां की तहां धरी रह गयी है और वहां पर भ्रष्टाचार घुन की तरह सारे विभागों में व्याप्त है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बात पर विचार किया जाए कि इन विभागों से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सकता है। मान्यवर, देहरादून क्षेत्र में सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन पड़ी है, वहां पर सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट न होने के कारण खालों में सीवर लाइन खोदी जाती है, खालों के दोनों ओर घनी बस्तियां बसी हुई हैं। इन बस्तियों में महामारी का खतरा बना हुआ है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस समस्या के निस्तारण का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा कर घनी बस्तियों को इसके दुष्प्रभाव से बचाने की तत्काल आवश्यकता है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में गोरखा जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने की बात कही गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखा जाति से जुड़ी हुई और भी कई समस्याएं हैं, जैसे उनके कद के बारे में। गोरखा जाति के लोगों को पुलिस की भर्ती में कद को लेकर कोई छूट नहीं दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गोरखा जाति के लोगों को पुलिस में भर्ती के लिए कद और अन्य मानकों में छूट दी जानी चाहिए। मान्यवर, इस बात को सारा सदन महसूस करता है कि देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी घोषित करने के बाद से यहां पर जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, उसके कारण यहां की यातायात व्यवस्था ठप्प हो गयी है और यहां के लोगों को मिलने वाली जन सुविधाएं कम हो गयी हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक विचारणीय बिन्दु है कि अस्थायी राजधानी क्षेत्र में यहां की मूल जनसंख्या को हम किस प्रकार से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

मान्यवर, उत्तरांचल में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाये। हम, यहां पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकें, यहां पर नवयुवकों को प्रोत्साहित कर सकें, विश्व स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित कर सकें। मान्यवर, मैं समझता हूं कि देहरादून से अधिक उपयुक्त स्थान कोई ओर नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया सरकार इस ओर भी ध्यान दे। यह दुर्भाग्य है कि उत्तरांचल का सबसे बड़ा शहर होने के बाद भी यहां पर कोई स्टेडियम अभी तक नहीं बन पाया। मान्यवर, इसके साथ–साथ एक सांस्कृतिक केन्द्र भी बनाया जाये। मान्यवर, अभी तक जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, उसके लिए हमें नगर निगम

प्रेक्षागृह या ओ0एन0जी0सी0 पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि एक स्टेडियम और सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण किया जाये। अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा के कूड़ा-करकट का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। नगर निगम जिस स्थान पर कूड़ा फेंकता है, तो वहां विरोध होता हैं फिर वह किसी दूसरे स्थान पर कूड़ा फेंकने लगता है तो वहां भी विरोध शुरू होता है। मान्यवर, यह समस्या आने वाले समय में बहुत गम्भीर रूप धारण कर सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाये कि किस तरह इस कूड़े का निस्तारण किया जा सकता है? मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री प्रीतम सिंह पंवार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमें लगता था कि इस अभिभाषण में ठोस निर्णय होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले पक्ष-विपक्ष में, जिस पर चर्चा हो रही हैं, उस पर कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखण्ड और उत्तरांचल के नाम पर राजनीति हो रही है। मान्यवर, वर्षों तक उत्तराखण्ड के नाम से लड़ाई लड़ी गई, यहां की जनता ने उत्तराखण्ड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, भाजपा ने केवल राजनैतिक लाभ के लिए उत्तराखण्ड के बजाय उत्तरांचल राज्य का नाम रख दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उत्तरांचल के बजाय राज्य का नाम उत्तराखण्ड रखने का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्षों तक यहां की जनता द्वारा संघर्ष किया गया।

मान्यवर, यहां के नवयुवकों, माताओं और बहिनों ने शहादतें दी और आज उनकी शहादत के परिणामस्वरूप हमारा उत्तराखण्ड राज्य बना और हम इस सदन में सब लोग हैं। महामहिम के अभिभाषण में जहां सरकार ने कुछ अन्य कार्यों के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की है। मैं चाहूंगा कि उत्तराखण्ड राज्य के लिए जिन शहीदों ने शहादतें दी हैं, उनके परिजनों के लिए, बच्चों के लिए, यह सरकार मुआवजा दे। जो बचे हुए हैं, उनको यह सरकार नौकरी दे। इस आंदोलन में कुल 42 लोग शहीद हुए, इस अभिभाषण में इनके लिए कोई योजना नहीं है। मान्यवर, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की जाय। मान्यवर, जौनपुर, रवांई क्षेत्र जिसे कि 1952 में जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग की गयी थी। जौनस्यार जो एक जनजाति क्षेत्र है, इसके साथ ही जौनपुर और रवांई को, भी मैं जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग करता हूं। सन् 1975 में श्री धर्मवीर शास्त्री जी ने इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। मान्यवर, यहां की बोलचाल, वेशभूषा, रहन-सहन एक जैसा है। रवांई और जौनपुर में सभी सुविधाएं तो देय हैं, लेकिन नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं इस बिन्दु को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोड़ दिया जाय।

मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन में अनेक विसंगतियां हैं, इस पर अभी जिक्र आया है। हमारे माननीय सदस्य ने कहा 125 के स्थान पर 500 रु0 होना चाहिए, यह स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, पेंशन जो साल भर में मिलती है, इसे प्रतिमाह दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक दिक्कत यह है कि यदि गांव में कहीं भी एक विधवा हो गई तो उसको पेंशन तब तक देय नहीं होती जब तक कि ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं हो जाता। मैं चाहूंगा कि आगे से ऐसी व्यवस्थायें की जानी चाहिएं, जो विधवा हो जाये, उसको तुरन्त पेंशन मिलनी चाहिए। कभी-कभी यह होता है कि पेंशन लेने वाला पेंशन की लाइन में लगे-लगे वह मृत हो जाता है, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में वन भूमि पर कई गांव बसे हैं, आज से नहीं वर्षों से बसे हैं और उन गांवों के निवासी मतदाता सूची में शामिल हैं, उनके पानी के कनेक्शन हैं, बिजली के कनेक्शन हैं लेकिन उन्हें राजस्व का दर्जा नहीं दिया गया। तो मैं अपने उत्तरकाशी जनपद के धरासू बैण्ड की बात करूंगा कि उसको राजस्व गांव में शामिल करना चाहिए। इसी तरह मुडखिल, बज्याड़ा गांव को भी राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया, पेयजल जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कि निर्धन लोग रहते हैं, सार्वजनिक पेयजल जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में बन्द कर दिये गये और व्यक्तिगत कनेक्शन दिये गये। सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्टों की दुबारा व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तराखण्ड को जड़ी-बूटी प्रदेश बनाने की जो सोच है, बहुत अच्छी सोच है, इस दिशा में वह प्रयास कर रहे हैं, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड में दुर्लभ किस्म की जड़ी-बूटियां होती हैं, उनका अवैध रूप से दोहन हो रहा है, वह प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। अभिभाषण में आया है कि 20-25 प्रजातियाँ लेंगे। मै चाहता हूं कि 20-25 प्रजातियों को लें, साथ ही ऐसी प्रजातियों को लें जो दुर्लभ किस्म की हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पंवार जी आपका भाषण जारी रहेगा, अब हम उठते हैं, 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री प्रीतम सिंह पंवार-

मान्यवर पोस्ते की खेती के सम्बन्ध में बात हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः असिंचित क्षेत्र है। यहां की जनता मेहनत बहुत करती हैं किन्तु आमदनी बहुत कम होती है। पूर्व में भी पोस्ते की खेती में बहुत अच्छी आमदनी नहीं होती थी। देश के विभिन्न राज्यों में पोस्तों की खेती होती है। मैं यह नहीं कहता कि लाइसेंस के तहत पोस्ते की खेती नहीं की जानी चाहिए। यदि लाइसेंस के तहत पोस्ते की खेती की जाए तो उससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। इसे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक प्रमुख समस्या पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है, मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र आया कि गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जायेगा और कुछ अन्य जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर

वाकई लगता है कि कोई समुदाय पिछड़ा है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही जो पूर्व में जातियां है पिछड़ी हुई, उनके सम्बन्ध में अन्याय नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां पर एक परिवार के चार सदस्यों को पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र दिया गया, किन्तु बाद में उनके सदस्यों को पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र देने से इनकार कर दिया कि वह जाति पिछड़ी जाति में नहीं आती। मैं चाहता हूं ऐसा न हो जिन्हें पूर्व में पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र दिया गया है, उनके उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए। नई जातियों को शामिल किया जाना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री घाटी, गंगा घाटी के नाम से दो घाटियां हैं। वर्षों से बड़कोट रवांई को जनपद बनाने की मांग है, नये जनपद का सृजन किया जाना चाहिए जो बहुत आवश्यक है। चिन्यालीसौड़ को तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, यह स्वागत योग्य कदम है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को तहसील स्तर पर 50 बैड से सुसज्जित अस्पताल खोले जायेंगे। लेकिन, साथ ही साथ हमें उन ग्रामीण क्षेत्रों को भी देखना होगा, जहां पर आजादी के 5 दशक बाद भी स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया नहीं हैं। मान्यवर, गोडर पट्टी, खाटल पट्टी, गमटी पट्टी आदि जगहों में बीहड़ रास्तों से सड़क पर आना पड़ता है और कई लोग तो अधिक बीमारी के कारण रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधायें पहले मुहैया कराई जाये।

मान्यवर, एक सुझाव मेरा शामिल किया जाना चाहिए, हमारे यहां बुरांस, माल्टा, अन्य कई तरह के उत्पाद होते हैं जिनसे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मान्यवर, एफ0पी0ओ0 के लाइसेंस की आवश्यकता होती है लेकिन लाइसेंस का सरलीकरण नहीं है। हमें इसके लाइसेंस के लिए दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है तो मान्यवर, इसका सरलीकरण होना चाहिए। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक महत्वपूर्ण चीज शामिल नहीं है कि सीमांत तहसीलों की सेना में भर्ती के लिए 8 पास की अर्हता है। मैं चाहूंगा कि इसमें तीनों सीमांत जनपदों का 8 पास की अर्हता सेना में भर्ती के लिए होनी चाहिए। मान्यवर, कांग्रेस के घोषणा–पत्र में था कि विकल्पधारियों को चौबीस घण्टे के अन्दर उत्तर प्रदेश भेज दिया जायेगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में हमारी सरकार अपनी घोषणा के अनुसार कार्य करे। इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, अगर उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेजा जाता है तो प्रदेश के विभिन्न डिप्लोमाधारकों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, दैनिक एवं नियत वेतनमान शिक्षकों, जल संस्थान, वन विभाग तथा बी0टी0सी0 एवं एल0टी0 सहित अनेक दैनिक वेतन को एवं तदर्थ वेतन सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि इसमें नहीं हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इसे इसमें शामिल किया जाए। साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई, उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, हमारे यहां जो बेसिक शिक्षा में बी0एड0, एल0टी0 शिक्षक हैं, उनको माध्यमिक शिक्षा में समायोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं के अनार्थिक श्रम से बचने के लिए क्या नीति हो, ऐसी नीति हमारी सरकार को बनानी चाहिए। साथ ही एक निवेदन ओर करूंगा, जिन शहीदों ने उत्तराखण्ड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन शहीदों के स्थल रामपुर तिराहा काण्ड की जो

दुर्दशा आज है, वह किसी से छिपी नहीं है, शहीद किसी दल के नहीं, किसी जाति के नहीं, हम सबके शहीद हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रामपुर तिराहा में, मुजफ्फरनगर में जो शहीद स्थल बने, वह सही ढंग से बने, आज जैसा नहीं होना चाहिए। आज की इस दुर्दशा से हमारी जग–हंसाई हो रही है।

अभिभाषण में परिवहन नीति का जिक्र है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह तय किया जाए कि परिवहन नीति कैसी हो। हमारे यहां बहुत बढ़िया ढंग से पूर्व में भी परिवहन व्यवस्था रही है और यातायात पर्यटन लिमिटेड आदि जो हमारे पूर्व में कार्यरत एजेन्सियां हैं, उनके माध्यम से यहां यातायात व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं, मान्यवर, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने समय से अधिक समय दिया, जितना निर्धारित समय होता है। और अंत में मैं अपने अनुभवी नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना और मैं अपने नेता सदन से भी निवेदन करूंगा कि सभी लोगों के साथ हम लोग यहां सौहार्द बनाए रखें।

*डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने मुझे अपने कुछ शब्द सदन के बीच में रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज इस पहली विधानसभा में मेरा पहला सम्बोधन है, इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, उसके लिए सदन से। मैं महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस सदन में रखे गए अभिभाषण का समर्थन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पहली विधानसभा में हमारे तजुर्बेकार नेता हमारे विकास–पुरुष इस सदन के नेता हैं और मेरे जैसे विधायक जो पहली बार इस सदन में आए हैं, उनके अधीनस्थ रहकर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।

मान्यवर, जब एक डाक्टर एम0बी0बी0एस0 करके होम जॉब करता है, यदि उसमें उसे सफलता मिलती है तो उसके अन्दर आत्म विश्वास पैदा होता है कि मैं अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता हूं। इस विधानसभा को मैं भी अपने होम जॉब के रूप में देख रहा हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमारी सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट हो गयी हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं। उत्तरांचल राज्य में आर्थिक संसाधन और रोजगार के अवसरों के लिए पर्यटन एक मुख्य साधन साबित होगा। हमारी सरकार ने नये–नये पर्यटन क्षेत्रों के विकास की बात कही है और साथ ही साहसिक पर्यटन की जो बात कही है, वह स्वागत योग्य है। आज के नवयुवकों में साहसिक पर्यटन को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साहसिक पर्यटन के साथ अगर हम चिकित्सीय पर्यटन को भी जोड़ दें, योगा, आयुर्वेद और मसाज सेन्टरों का समायोजन भी पर्यटन क्षेत्रों में कर दें तो देश–विदेश के बहुत से पर्यटक हमारे प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। मसाज ट्रेनिंग सेन्टर यहां पर खोले जाने चाहिएं। होटलों द्वारा होलीडे पैक़ेज की स्कीम के द्वारा भी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। केरल में इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। हम केरल को मॉडल प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। एक टीम वहां पर भेज कर उसका अध्ययन कर सकते हैं। मान्यवर, आर्थिक संसाधन जुटाने की दिशा में वन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारी सरकार नै आरक्षित वन भूमि सहित वन भूमि के क्षेत्रफल का कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल सामुदायिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन में लाये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने की जो बात कही है, वह भी स्वागत योग्य है। मैं

*वक्ता नै भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन करना चाहता हूं कि अभिभाषण में सामाजिक वानिकी की बात नहीं रखी गयी है। हमारे प्रदेश में 90 उद्योग ऐसे हैं, जो सामाजिक वानिकी पर आधारित हैं। इन उद्योगों को हम और बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि हमारे किसानों को यह न लगे कि हमारी कटान और चुगान पर किसी तरह का हस्तक्षेप हो रहा है मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हेमपुर डैम बना था तो वहां के लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगहों पर बसाया गया था, मेरा निवेदन है कि आज 40 साल हो जाने के बाद भी उन गांवों को राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को विस्थापित करके बसाया गया है। मेरा अनुरोध है कि उन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाए। हेमपुर डैम में काम करने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी जमीन खरीद सकें।

मान्यवर, उनके बच्चे उत्तरांचल में ही पैदा हुए और उन्हें स्थाई निवास प्रमाण–पत्र इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। उनके सामने रोजगार की बड़ी समस्या है। वे उत्तरांचलवासी माने जायेंगे या नहीं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में यह बहुत बड़ी समस्या है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में अनेक सदस्यों ने जनसंख्या वृद्धि पर चिन्ता जाहिर की है। हम कितने भी विकास के संसाधन जुटा लें, लेकिन यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो सारे संसाधन बेकार हो जायेंगे। मेरा सुझाव है कि ग्राम सभा के चुनावों में जिनके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाये। इसके साथ ही साथ जिसके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें सरकारी नौकरियों से भी वंचित कर दिया जाये। (व्यवधान)

मान्यवर, मध्य प्रदेश सरकार के प्राविधानों का हम अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण में मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन्न अनुदान और ऋण देने की बात कही, यह स्वागत योग्य कदम है पर हमें यह सोचना चाहिए कि जो हम उन्हें सुविधा दे रहे हैं, क्या वह सुविधा सही या पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रही है? हम इस संबंध में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजे, ताकि जो लोग वास्तव में इसके पात्र हों, उन तक यह सहायता पहुंचे। पर्यावरण की काफी बातें इस सदन में उठी और विभिन्न सदस्यों ने पॉलिथीन के बारे में जो बातें कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज कितने पशु पॉलिथीन खाकर मर रहे हैं, पॉलिथीन के कारण आये दिन सीवर लाईनें जाम हो जाती हैं। मान्यवर, पॉलिथीन को गलने में 500 साल लगते हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र ऊधमसिंह नगर में काफी शुगर मिलें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हर शुगर मिल में एक डिस्टलरी होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। भारत सरकार ने 5 प्रतिशत ऐल्कोहल पेट्रोल में मिलाने की अनुमति दे दी है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने हर साल 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, पर यह योजना तभी साकार होगी, जब हम अपने ग्लेशियर, नदियों और बुग्याल को बचा पायेंगे, इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक विभाग अलग से बनाया जाय। जैसा कि अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि हर साल ग्लेशियर 100 मीटर खिसकता है।

मान्यवर, आज हमारे पास जो तहसीलें हैं, वे उत्तर प्रदेश के मानकानुसार बनी हुई हैं, मैं चाहता हूं छोटी–छोटी तहसीलें बनायी जायें। मै ऊधमसिंह नगर की नदियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, ये नदियां सैकड़ों एकड़ जमीन बहा देती हैं। मैं एक बार पुनः मान्यवर, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों के बीच इतने लम्बे तजुर्बेकार मा0 तिवारी जी बैठे हुए हैं। मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको महामहिम के अभिभाषण में हल्के ढंग से लिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में जो विचार महामहिम द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उनके ऊपर समीक्षा की आवश्यकता है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें, पिछले 25 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्राइमरी स्कूल बने थे, आज वहीं स्कूल हैं, उनकी बाउंड्री व फर्श जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। मान्यवर, कहने के लिए हमारे पास बहुत प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल हैं, जो 20–20, 25–25 साल पुराने हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जूनियर हाई स्कूलों को इण्टर कॉलेज तथा प्राथमिक स्कूलों को जूनियर स्कूलों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मान्यवर, पंजाब को हम और आप एक विकासशील प्रदेश के रूप में देखते हैं, लेकिन जरा सा हम सोचें, हम उनसे पीछे क्यों हैं? मान्यवर, इसका प्रमुख कारण शिक्षा है,यदि हमें देश में अपने राज्य की पहचान बनानी है तो हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा।

मान्यवर, पंजाब में बच्चे बी0ए0 तथा एम0ए0 की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, मान्यवर हमें इसके मूल कारणों को जानना होगा। हमारे प्रदेश में बच्चे गरीबी और मजदूरी से झूझते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

मान्यवर, मैं इस ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश छोटा है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। यहां पर जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको जूनियर हाई स्कूल में परिवर्तित किया जाय और जूनियर हाई स्कूल को इन्टरमीडिएट कॉलेजों में परिवर्तित कर दिया जाय। जहां एक ओर हम शिक्षा में पीछे हैं, वहीं हम स्वास्थ्य में भी पीछे हैं। उत्तरांचल देश का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग होने के नाते यहां पर ह्यूमीडिटी रहती है, और इसके कारण यहां पर कीड़े और पतंगे ज्यादा हैं, उससे हमारे बच्चों की सेहत खराब होती है और उनकी हाइट भी कम होती जा रही है, और यहां पर अन्य जगहों से ज्यादा बिमारियां हैं। जो व्यवस्था सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई है, उसकी इतनी बुरी हालत है, जहां भी स्कूल हैं, दूर गांवों में, वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलें। जो हमारे यहां पूर्व में स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी हालत यह है कि उनमें डाक्टर नहीं हैं। हमारे काशीपुर में मेरे सामने एक एक्सीडेन्ट हुआ और मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर सरकारी अस्पताल में गया तो वहां पर डाक्टर ने तीन घण्टे तक इन्तजार किया कि मर जायेगा, जब वह तीन घण्टे तक नहीं मरा तो उन्होंने उसे मुरादाबाद ले जाने को कहा फिर उसे मुरादाबाद ले गये, वहां उसका इलाज हुआ, वह व्यक्ति आज जिन्दा है।

माननीय तिवारी जी, जो अस्पताल हैं, न तो उनमें डॉक्टर हैं न संयंत्र हैं और न दवाईयां हैं। दवाईयों तो डॉक्टर्स के बेचने के लिए हैं, वह मरीजों के लिए नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। जितने भी अस्पताल बने हुए हैं, उनकी हालत खराब है, मरीज सरकारी अस्पताल में मौत की तरफ जाना समझता है और प्राइवेट अस्पताल के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अन्ततः उसकी मौत हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। मान्यवर, अस्पतालों में मरीज बदल जाता है मगर मरीजों के खून के धब्बे बिस्तर में वैसे ही रहते हैं, और बिस्तर में से बदबू आती है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जायेगा तो वहां से बीमार होकर लौटेगा। माननीय तिवारी जी, उद्योग के क्षेत्र में भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, उद्योग जिसका सीधा संबंध उत्पादकता और व्यापार से जुड़ा हुआ है। अगर इस देश का चहुँमुखी विकास करना है तो हमको उद्योगों को मजबूत करना होगा और इनको प्रोत्साहित करना होगा। पूर्व में जो उद्योग लगे हुए हैं, उनको पहले इस काबिल करना होगा कि इससे एक मैसेज बाहर जाये कि उत्तरांचल में उद्योग लगाने से बीमार नहीं होते, यहां पर फलीभूत होते हैं। मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि उस वक्त यह बात नहीं सुनी गई। उत्तरांचल में लघु उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर यही दशा रही तो नये उद्योग चाहे वह लघु हों, मध्यम हों और बड़े उद्योग हों, उनके उद्योगपतियों को आमंत्रित करना सम्भव नहीं होगा। कोई नया उद्योग लगने का सवाल ही नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पर्यावरण ऐसा मुद्दा है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जितने भी नदियां और नाले हैं, जिनमें स्वच्छ पानी होता था, जिसे पशु पक्षी पीते थे, जिसकी पवित्रता से अपने को पवित्र करते थे, आज वह नदियां, नाले उद्योग की गंदगी के कारण गंदे हो चुके हैं। वह मनुष्य, पशु, पक्षी नहीं रह गया है। जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह खत्म हो चुका है। मैं यह चाहूंगा कि भविष्य में यह सौन्दर्य खत्म न हो। मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों में अन्तर है। एक औद्योगिक मास्टर प्लान यहां पर बना लिया जाए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे उद्योगों को जिनसे गंदगी हमारे नालों–नदियों में बढ़ रही है, उन्हें हटा दिया जाए। जिससे पूरा प्रदेश गंदगी से बच सके। मास्टर प्लान बड़ा सहायक होगा। भविष्य में यह उद्योग को लगाने के लिए, पर्यावरण के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खेती–बाड़ी के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में तराई की ऐसी बेल्ट है जहां पर बाहर के लोग खेती कर रहे हैं तथा खेती पर उनकी जीविका टिकी है। उन्होंने जंगलों को काटकर इसे खेती योग्य बनाया है। जिसमें उनका कब्जा है, वह वर्ग चार पर है जो सरकारी जमीन कहलाती है। सरकार को उससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिछली सरकार में इसकी घोषणा भी हुई कि वर्ग चार की जमीन को विनियमित कर दिया जायेगा। आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस पर जरूरी कार्यवाही की जाए। जिससे दो मसले हल होंगे, एक तो सरकार को राजस्व मिलेगा, दूसरा किसानों को उस जमीन पर कब्जा मिलेगा।

मान्यवर, दो डैम हैं, जहां से लोगों को उठाया गया था, उनको जमीन देने की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पट्टे दे दिये गये लेकिन सरकारी रिपोर्ट में कोई एण्ट्री नहीं, इसलिए मान्यवर, आज वे लोग बेघर, बेबस बैठे हैं। इसलिए मान्यवर, इस ओर भी ध्यान दीजिए।

मान्यवर, आज जो उत्तराखण्ड और उत्तरांचल के नाम का मसला चल रहा है। मेरा इसमें यह कहना है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीतिक रोटियां न सेकें। नाम कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें इससे बचना चाहिए।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में हमारे कुछ भाईयों ने कहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने कहा था कि "जनता को पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से आता है।" तो मान्यवर, अगर हम लोग भ्रष्टाचार से बचेंगे तो हम जरूर नीचे वालों को भ्रष्टाचार से बचा पायेंगे।

मान्यवर, काशीपुर की बहुत पुरानी मांग है, उसको जिला बनाने की। काशीपुर की जनता लगातार मांग करती आ रही है कि उसको जिला बनाया जाये और वहां की जनता सोचती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी काशीपुर आयें और उसको जिला बनाने की बात कहें।

मान्यवर, यह सारे बिन्दु महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आने चाहिएं थे। मान्यवर, ये सारी चीजें जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में रह गयी हैं, कृपा करके सरकार इन बिन्दुओं की ओर ध्यान दे।

*श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य समझ रहा हूं कि मैं आज उस सदन में बोल रहा हूं जिन्हें मैंने पहले प्रदेश और राष्ट्र की राजनीति में बहुत दूर से देखा और सुना, उस बड़े व्यक्तित्व का साया हमारे सामने है। मैं एक नई पारी शुरू कर रहा हूं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता का भी आभारी हूं कि लगातार अपने छात्र–जीवन में उनका विरोध करते हुए भी उनका सानिध्य और स्नेह भी हमेशा रहा और मुझे पूर्ण आशा है कि इस नई पारी में भी मिलेगा। मैं प्रथम बार इस सदन में आया हूं। मैं सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखण्ड की मांग को पूरा किया है। आदरणीय रावत जी को हमने, इस बात को पूरे उत्तराखण्ड की जनता के सामने कहा था कि जिस दिन हम विधानसभा में आयेंगे, हम पहला काम करेंगे, इसका नाम उत्तराखण्ड रखेंगे।

मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, नाम की राजनीति से रोटियां न सेकें, परन्तु यदि स्मरण हो तो उन्होंने ही ऐसा किया। जब उत्तर–प्रदेश की विधानसभा में इसे भेजा गया था तो बिल में उत्तरांचल का नाम कहीं भी नहीं था, ये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी ही देन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो आज भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उस अन्याय में साझीदार थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उत्तराखण्ड की भावनाओं के साथ अन्याय किया, सिर्फ अपनी राजनीति को चलाने के लिए उत्तराखण्ड की महान भावनाओं को कुचल दिया और हमारी सरकार उस अन्याय को, उस दर्द को दूर करने का जो प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं कि उनको इस प्रयास में सरकार का समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने भी कहा था जब झारखण्ड, वनांचल का नाम भेजा था, तो बिहार की असेम्बली ने उसे झारखण्ड में बदला था, जो कि न्यायोचित था। किन्तु उत्तर प्रदेश की असेम्बली ने इसे उत्तरांचल में बदलकर अन्याय ही किया है। इसके लिए प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार है। अपनी पहली चुनी हुई यह असेम्बली केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज रही है, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि इस प्रस्ताव के समर्थन में आयें। जो कांग्रेस को कहते हैं कि राज्य सभा में उन्होंने जोर नहीं दिया, कांग्रेस ने जोर दिया था, आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने विरोध को वापस लें। मित्रों, इस नाम में बहुत कुछ है। भारत की समाज व्यवस्था में ग्रंथ लिखे पड़े हैं, किस व्यक्ति का नाम क्या होना चाहिए। किसका नाम सुन्दर हो, किसका ताकतवर, किसका नाम कुरूप होना चाहिए। नाम में शान होती है, नाम में सम्मान होता है और उत्तराखण्ड की जनता इसी मान और सम्मान के लिए जीना चाहती है और इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड हो, जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के इस प्रयास में उनके साथ हूं। मित्रों, बहुत सी बातें हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारी नई सरकार आई है, सबने, बहुत से मित्रों ने कहा कि पहाड़ की जवानी को पहाड़ के पानी को रोकना है। इसके लिए संशोधन की जरूरत है, विशेष राज्य का दर्जा कोई मेहरबानी नहीं है।

मान्यवर, हमारा प्रदेश एक नया प्रदेश है, इसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, आर्थिक संसाधनों के लिए, राजधानी बनाने के लिए अगर हम केन्द्र सरकार से तात्कालिक या दीर्घकालिक आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को केन्द्र से आर्थिक सहायता देने के लिए कौंसिल बनी हुई है। हमारे उत्तरांचल राज्य तथा हिमांचल प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अन्य प्रदेशों से भिन्न है। हमारे राज्य और हिमांचल प्रदेश के लिए भी कौंसिल का गठन किया जाना चाहिए।

मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य आज विकल्पधारियों की समस्याओं को जोर–शोर से उठा रहे हैं किन्तु जब तक यह सत्ता में रहे, इन्होंने विकल्पधारियों की समस्याओं के समाधान का कोई प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि उनकी समस्याओं का न्यायसंगत हल न निकला तो इस विषय को केन्द्र सरकार के समक्ष ले जाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है। सरकारी सेवाओं के रिक्त पदों को भरने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तरांचल राज्य के अन्दर आरक्षित वर्ग के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। चाहे कुमाऊँ विश्वविद्यालय हो, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, चाहे पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे गैर शिक्षक पद हों, चाहे सरकारी विभाग हों, चाहे अर्ध सरकारी विभाग हों, सभी में आरक्षित वर्ग के पद रिक्त हैं। हमारे विधायकगण आरक्षण की बात तो करते हैं लेकिन कभी यह मांग नहीं कर पाते कि जो आरक्षित वर्ग के पद

रिक्त हैं, उनको भरने के लिए प्रयास किए जाएं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पिछले 10–12 सालों से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी और आरक्षित वर्ग के लोग दूसरी सरकारों के जुल्मों का शिकार होते रहे। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्व0 राजीव गांधी के समय में आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था, उसे एक बार पुनः हमारे राज्य में चलाया जाए। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश राज्य में थे तब पंचायतों के चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। 1991 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जिले में 1362 ग्राम प्रधान के पद थे, जिनमें से मात्र 82 पद ही आरक्षित किए गए। यदि इनका आकलन किया जाए तो यह सिर्फ 6.23 प्रतिशत ही निकलता है।

मान्यवर, इसी प्रकार पौड़ी जिले में 1199 ग्राम प्रधानों के पदों पर मात्र 40 पद आरक्षित किये गये। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 21 प्रतिशत है और उत्तराखण्ड जब व्यवहार में आया तो यह प्रतिशत 3.4 से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं मांग करूंगा कि यह चाहे नये परिसीमन में हो या पुराने में हो, अनुसूचित जाति के संवैधानिक हकों पर जो डकैती डाली गई थी, वह रुकनी चाहिए। एक गम्भीर समस्या के बारे में सरकार ने घोषणा की कि उत्तराखण्ड में जो पेयजल की समस्या है, उसके लिए सरकार दीर्घकालीन नीति बनायेगी। मैं इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूं। मान्यवर, जब मैंने चुनाव के दौरान गांवों का दौरा किया तो वहां मुझे पानी तो नहीं मिला, लेकिन दारू की थैलियां जरूर मिल गई। मान्यवर, पिछले 4–5 सालों में यह हुआ कि गांवों में पानी की आपूर्ति तो नहीं की गई, लेकिन दारू की आपूर्ति जरूर की गई। लेकिन अब हमारी सरकार का कहना है कि गांव–गांव में पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए सरकार को साधुवाद।

हमारे उत्तरांचल की अधिकांश जनता आज भी गांवों में रहती है और गांव के स्कूलों में ही पढ़ती है। हम भी इन्हीं ग्रामीण स्कूलों में पढ़े हैं और आज यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन तब स्कूलों में अध्यापक होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। सरकार ने घोषणा की है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करेगी, इसके लिए सरकार को साधुवाद। सरकार ने कहा कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। स्कूलों के माध्यम से हम शिक्षित नौजवानों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में शिक्षा के लायक वातावरण है। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की है। उत्तरांचल के गरीब बच्चों के लिए भी स्कूलों की स्थापना की जाये, कहीं ऐसा न हो कि पब्लिक स्कूलों के बोझ तले उत्तराखण्ड का भविष्य डूब जाये। इसके साथ–साथ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात सरकार ने कही है। आज सरकारी सेवाओं में अवसर कम होते जा रहे हैं, ऐसे में युवाओं को निजी क्षेत्रों में काम करना होगा। जब तक युवा कुशल नहीं होंगे, उन्हें निजी क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम 40 आई0टी0आई0 संस्थान आज तक बन्द हो चुके हैं। माननीय तिवारी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड में आपने जो तकनीकी आई0टी0आई0 का जाल बिछा रखा था, आज कम होने की हालत में है। आने वाले उत्तराखण्ड के भविष्य के लिए हमेशा–हमेशा याद किया जायेगा। हमारी सरकार ने इसको दूर करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए याद किया जायेगा।

मान्यवर, राजधानी जब लखनऊ से देहरादून आयी तो लोगों की बहुत बड़ी आशाएं इससे थी, परन्तु राजधानी देहरादून होते ही वन पंचायतों पर नौकरशाहों की नजर पड़ी। वन पंचायत में संशोधन कर उत्तराखण्ड के लोगों के हकों को बहाल किया जाय। मान्यवर मैं सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आया हूं। मान्यवर, मेरी मांग है कि सोमेश्वर को तहसील बनाया जाय, ये क्षेत्र के लोगों की बहुत लम्बी मांग है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो सड़कें आपके और मा0 हरीश जी के नेतृत्व में बनी थी, वे सड़कें आज वैसी ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि चाहे कोई भी क्षेत्र, मण्डल हो, आप पार्टी और क्षेत्र विशेष से ऊपर उठकर विकास का कार्य करें, जो आने वाले समय के लिए एक नजीर बने। (व्यवधान)

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, आज मेरा मन आनन्दित है कि आज हमारे बीच मा0 तिवारी जी जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं आज यहां श्री तिवारी जी की कृपा से ही पहुंचा हूं। मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से 90 प्रतिशत सहमत हूं तथा 10 प्रतिशत असहमत हूं। मान्यवर, मैं उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड करने के विरोध में हूं, क्योंकि हमारी दृष्टि से यह सवाल अब अनावश्यक है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, श्री तिवारी जी का, जब से वे उत्तरांचल सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से ही उन्होंने बंगाली समाज के एस0सी0 मामले को उठाया। मान्यवर, हमारे यहां एक जाति है राजपूत, वह राजपूत ओढ है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि बंगाली समाज व राजपुत ओढ को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु जल्द से जल्द बिल को केन्द्र को भेजेंगे तो मैं आभारी होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां ऊधमसिंह नगर में 6 वर्षों से बन्दोबस्त चल रहा है जो कि तीन साल के लिए था। एक किसान को इन्तखाब के लिए तीन सौ से चार सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, यह कार्य तहसील में नहीं होता है, इसके लिए हैडक्वार्टर रुद्रपुर जाना पड़ता है। यह कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता है, कृपया इसे देख लिया जाये। मान्यवर, हमारे यहां एक शुगर मिल है जो घाटे में चल रही है, अगर वहां पर कोई पी0सी0एस0 रैंक का अधिकारी भेज दिया जाये तो वहां पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वह दूर हो जाये।

माननीय मुख्यमंत्री जी यदि इस पर ध्यान देंगे तो उन गरीबों का भला होगा। इसके साथ ही अच्छी तरह जानते हैं कि हरिपुरा जलाशय के बीच में एक बांध है, वह टूटा हुआ है। आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया जिससे उस जलाशय के बनने का कोई मकसद नहीं हल हुआ है। वहां पर बांध बनना बहुत जरूरी है। तभी उसका सही उपयोग होगा। मान्दवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश एक ही था तथा कुमारी बहन मायावती जी की सरकार थी, उस समय अम्बेडकर गांव तथा गांधी गांवों का बहुत त्वरित गति से विकास हुआ था। उनके हटते ही विकास के कार्य समाप्त हो गये हैं। अम्बेडकर ग्रामों का विकास तेजी से हो, यह मेरा निवेदन है।

परिवहन नीति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग केवल शहरों को देखते हुए ही परिवहन नीति बनाते हैं। जबकि हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। परिवहन नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे गांवों के लोगों को सुविधा हो, यातायात आसान हो, यह मेरी मांग है।

एक और समस्या जो ताजातरीन है, उसे उठाना चाहता हूं, वह है राजधानी का अनियंत्रित यातायात। जिसका शिकार हम सब लोग हो रहे हैं। स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की समस्या अभी हमारे माननीय सिंघल जी ने उठाई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्थाई निवास प्रमाण–पत्र, चाहे वह वोटर लिस्ट के आधार पर बनते हों या राशन कार्ड के आधार पर वह बनाये जाएं। जिससे गरीबों को जो यहां रह रहे हैं, जिनके बच्चे हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0ए0 की डिग्री यहां से लेते हैं किन्तु उन्हें स्थाई प्रमाण–पत्र नहीं मिल पाता है। उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जब कि वह इसी प्रदेश के हैं।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के लिए एक अस्पताल उच्चीकरण के लिए मंजूरी दे दी है तथा मेरा जो गृह क्षेत्र दिनेशपुर है, जिसकी आबादी 50–60 हजार के लगभग है, वहां एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, उसका भी उच्चीकरण करना होगा। इसके साथ ही मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस अभिभाषण में इस प्रदेश का नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने के बारे में संकल्प किया गया है, यह सरकार का ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखण्ड नाम हमारी राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पहचान के रूप में आदि काल से प्रचलित है और मैं नेता प्रतिपक्ष को और प्रतिपक्ष के सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों को स्मरण कराना चाहूंगा कि सन् 1991 में जब अल्मोड़ा में उनके नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी आये थे, तब चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि "खण्ड शब्द से मुझे बू आती है इसलिए इसका नाम उत्तरांचल रखेंगे।" लेकिन उन्होंने झारखण्ड नाम रखा तो हमें बतायें कि उत्तराखण्ड के खण्ड से उन्हें बू आती हैं और झारखण्ड के खण्ड से खुशबू आती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ऐसा कहा भी नहीं और सदन में ऐसी बात कह दी। उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए था सदन में।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डॉ0 इंदिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य इस सदन में नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जायेगा।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, अगर सम्मानित सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको उस समय के अखबार की कटिंग भी दिखा सकता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अखबार की कटिंग भी सदन में नहीं आती है।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने आपको दिखाने की बात की है न कि सदन में लाने की।

दूसरा संकल्प जो इस अभिभाषण में लिया गया है कि राज्य आन्दोलन से जुड़े हुए शहीदों के नाम पर सड़कों, मार्गों, भवनों का नाम रखा जाएगा, वह उत्तराखण्ड राज्य के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनके लिए सच्चे सम्मान का प्रतीक है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा कि पर्वतीय राज्य के लिए अहम् फैसला लेने का निर्णय लिया गया है, वह सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। किसी भी क्षेत्र में विकास को पहुंचाने के लिए जो पहली सीढ़ी है, वह सड़क है और खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्र जो विषम भौगोलिक स्थिति में बसा है, जहां बिना सड़क के विकास की कल्पना करना कोरी कल्पना ही है। जो एक्सप्रेस हाई–वे बाह्य तकनीक और बाह्य सहायता से बनाने की बात इस संकल्प में की गई है, वह एक और भी महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे विकास का बहुत सारा समय और पैसा सड़कों के अभाव में खर्च हो जाता है। अगर प्रदेश में एक्सप्रेस हाई–वे बनेंगे, चाहे शुरूआत में एक–दो ही बनें, तो इससे प्रदेश में गति आएगी। मैं नेता सदन का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुरादाबाद, टिहरी प्रान्तीय राजमार्ग सं0 41 की तरफ जिस क्षेत्र का नेतृत्व इस समय लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विभूतियां कर रही हैं लेकिन मान्यवर, उस रोड की हालत आज इतनी खराब है। वह रोड विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक कार्बेट नेशनल पार्क को जोड़ता है और जहां देशी–विदेशी सैलानियों के साथ–साथ देशी और विदेशी एवं विशिष्ट और अतिविशिष्ट लोग आते रहते हैं। उस रोड की हालत इतनी खराब है कि मुरादाबाद से काशीपुर आने में ही बहुत समय लग जाएगा। और रामनगर से जो धनगढ़ी, पनोद और अन्य नाले हैं, जो बरसात में रोड को बाधित कर देते हैं। जिस तरह से यहां चिड़ियापुर में नाले हैं। मेरा अनुरोध है अपनी सरकार से कि उन नालों के हाई लेबिल काजवे का निर्माण कराया जाए और उस रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। मुरादाबाद, टिहरी, राजमार्ग संख्या 40 अब आज उसका नं0 स्टेटस हो सकता है, बदल गया हो, इस सरकार में पहले उत्तर प्रदेश का राजमार्ग था। हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, विद्युत के क्षेत्र में कि हम 500 मेगावाट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन की योजनाएं शुरू करेंगे और 5 वर्ष के अन्दर 3 हजार मेगावाट का उत्पादन करेंगे, वह एक ऐतिहासिक कदम है और इस प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक भी है।

जल संसाधन हमारे प्रदेश का एक प्रमुख संसाधन है जिसकी प्रचुरता हमारे प्रदेश में है और आज के दिन मुझे जो जानकारी है, 100 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं पर 7 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के करीब खर्चा आ रहा है। इस हिसाब से इस 3 हजार मेगावाट पर 21 हजार करोड़ रुपए का खर्च आया है जो एक भागीरथी संकल्प है। मेरा निवेदन है नेता प्रतिपक्ष से और नेता विधान–मण्डल दलों से कि वे इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपना सहयोग इस सरकार को देंगे ताकि हम इस भागीरथी संकल्प को पूर्ण कर सकें। और हो सकता है कि जब तक यह योजना शुरू होगी तब तक इसकी कॉस्ट और बढ़ सकती है। मेरा सुझाव है नेता सदन को कि हम इन योजनाओं को अगर एक जगह पर एक नदी में एक प्रोजेक्ट के बजाए दो–चार सौ मीटर की दूरी पर दो–चार प्रोजेक्ट

इकठ्ठे लगा दें तो शायद उसकी कॉस्ट घट भी सकती है। सरकार ने संकल्प प्रस्तुत किया है, जल प्रबन्धन पर। पहाड़ के लिए अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती। पानी के मामले में मेरा विचार है कि जो बरसाती पानी बरसात के समय अत्यधिक मात्रा में पहाड़ में बरसता है और पानी इकठ्ठा न हो करके नदी, नालों में बहता है और हमारी जमीन को काटते हुए हमारी बहुमूल्य मिट्टी को बहाकर वह जमीन पर द्रुत गति से बहता है। मान्यवर, अगर उस पानी को जगह–जगह पर रोका जाएगा तो उसे हमारे पास पानी का पर्याप्त भण्डार भी रहेगा और उसे हम पेय जल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, वह ऐतिहासिक है। मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ में कम से कम हर विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जाए ताकि हमारे नौजवान भी देश तथा विदेश के अन्य नौजवानों की बराबरी कर सकें। आज आई0टी0 का जमाना है। आदमी जेब से छोटा सा लैपटॉप निकाल कर दूर–दराज के लोगों को संदेश दे सकता है तथा उनसे बात कर सकता है। किन्तु हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए आज भी कम्प्यूटर एक कौतूहल का विषय है। वहां के बहुत से लोगों ने आज तक कम्प्यूटर सिर्फ टी0वी0 में ही देख रखा है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

मान्यवर, इस अभिभाषण के द्वारा हमारी सरकार ने यह संकल्प किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी–बूटियों का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। हमारे पहाड़ के लोग अपनी जमीन पर धान, गेहूं, मडुवा, भट, गहत आदि की फसल बो कर प्रति नाली 200–300 रुपया भी उत्पादन नहीं कर पाते है। यदि इसी भूमि पर लोग जड़ी–बूटियों का उत्पादन करेंगे तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति में क्रान्तिकारी बदलाव आएगा। इस अभिभाषण में हमारी सरकार द्वारा यह संकल्प किया गया है कि आरक्षित वन भूमि सहित वन भूमि के क्षेत्रफल का कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल सामुदायिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन में लाये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाएगी। मेरा मानना है कि उस 20 प्रतिशत भूमि को जड़ी–बूटी उत्पादन, पुष्प उत्पादन तथा बे मौसमी फलों के उत्पादन के लिए यहां के नौजवानों को लीज पर दिया जाए जिससे आर्थिक एवं रोजगार की दृष्टि से हमें बहुत लाभ मिलेगा।

मान्यवर, इस अभिभाषण के अन्दर राज्य की सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भूमिका की बात की गई है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। पहाड़ की समस्त धुरी महिला है, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात नौ बजे तक खटती रहती है और अपने बच्चों का पालन–पोषण करती है। अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो आयोग बनाने की बात की गई है, उससे भी इन वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल की जनता को नाम के पीछे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरांचल की जनता विकास की ओर दृष्टि लगाये बैठी है। मेरा आग्रह है माननीय नेता सदन से कि नाम के पीछे न जाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दें। जिसके लिए उत्तरांचल का निर्माण किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की ओर ले जाया जाये। मान्यवर, जैसा कि सब लोग जानते हैं, चमोली के अन्दर गैरसैण के पीछे समस्त राजनैतिक दलों ने राजनीति की है, लेकिन अब उसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। मान्यवर, गैरसैण एक ऐसा स्थान है, जो गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ता है और उसके विकास की अनेक योजनाएं शासन स्तर पर लम्बित हैं। वहां पर अपर निदेशक का कार्यालय खोला गया है, उसमें अपर निदेशक की नियुक्ति की जाये। यह वहां की जनता की भी मांग है। पर्यावरण प्रदूषण की बात आई है, हमारा सौभाग्य है कि चमोली के अन्दर सबसे पहले पॉलिथीन की समस्या का समाधान किया गया। वहां पर प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण नियंत्रण किया गया है। मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार चमोली में प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पॉलिथीन पर रोक लगाई गई है, उसी प्रकार पूरे उत्तरांचल में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाई जाये। पूरे उत्तरांचल में वन विभाग के कारण अनेक सड़कें लम्बित पड़ी हैं। ऐसी सड़कें जो वन विभाग ने बनाई हैं, उन पर पी0डब्ल्यू0डी0 का कब्जा नहीं है। इन मार्गों से जनता को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे मार्गों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद चमोली के अन्तर्गत मेरा विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग है। यहां एक ऐसी गुफा है, जहां पर बहुतायत में तांबा निकाला जाता है। हमारे पहाड़ में जो तांबे के बर्तन बमाये जाते हैं, वहां पर सुविधा न होने के कारण मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वहां पर एक पर्यावरण टीम भेजी जाय। मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में सुलभ काम्प्लेक्स के माध्यम से चाहे वह, पहाड़ी गधेरा हों या समतल मैदान, इस संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगें बनाकर खड़ी की गई हैं, जिनकी देखरेख न किसी विभाग के पास है, न ही पर्बटन विभाग इनको देख रहा है। मैं चाहता हूं कि इस संस्था को किसी के अधीन किया जाय। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग कर्णप्रयाग–रामनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा जाय, ताकि जो हमारी परिकल्पना है, वह साकार हो सके। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में हमारे पौराणिक मेलों के विकास के लिए कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहाड़ों में जो मेले होते हैं, उनके लिए सही व्यवस्था करने की, मैं मांग करता हूं। मान्यवर, मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं कि चमोली जनपद के गोचर नामक स्थान पर 32 वर्षों से एक संस्था है, जहां से बी0टी0सी0 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आज यह डाईड के नाम से जाना जाता है, जिसके भवन निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां छात्रों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मैं चाहता हूं, इस भवन के निर्माण के बारे में सरकार आदेश निर्गत करे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, प्राकृतिक आपदा से पूरा उत्तरांचल प्रभावित होता है, इस आपदा से हमारे प्रदेश में कई लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन रोगियों के उपचार की व्यवस्था करे। पहाड़ी क्षेत्रों में उनके पीछे बच्चे पत्थर लेकर भागते हैं। मैं चाहूंगा कि यहां पर एक मानसिक रोगियों के अस्पताल की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तरांचल राज्य आन्दोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को नौकरी में रख लिया गया, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं, जो इस आन्दोलन में घायल हो गये और अपंग होकर घर पर बैठ गये थे, ऐसे लोगों को नौकरियों में रख लिया जाय ताकि उनको रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। जय भारत, जय उत्तरांचल।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं अपने केन्द्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने श्री तिवारी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। कल काजी निजामुद्दीन जी ने करोड़पति से लखपति बनने की बात कही थी, इसी तरह तिवारी जी ने भी करोड़पति से लखपति बनना स्वीकार किया। कल कई वरिष्ठ सदस्यों ने उनके बारे में टिप्पणी की।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय सुबोध जी, इससे तिवारी जी का अनादर नहीं किया था, अगर आप यहां होते तो आप भी इसे उठाते।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह आन्दोलन 1952 से चल रहा था परन्तु नाम को लेकर कोई मतभेद नहीं था। 1973 में भी पर्वतीय विकास मंत्रालय का तीन–तीन बार नाम बदला गया। जब कि हमारी सरकार की भावनायें लाखों लोगों से जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन के अनुरूप स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों को साकार करेगी, यह हमारा विश्वास है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा विकल्पधारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करने के बारे में सजग होकर हजारों लोगों का सम्मान किया है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि निवर्तमान सरकार ने पूरे प्रयास किये कि विकल्पधारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त करके उत्तर प्रदेश भेज दिया जायेगा। किन्तु कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देरी लगने के कारण, जो कि स्वाभाविक है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर घोषणा पत्र में प्रमुख स्थान देकर कि 24 घण्टे में विकल्पधारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर देंगे।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश–

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि 24 घण्टे कहीं नहीं लिखा है।

श्री हरबंस कपूर–

48 घण्टे कहा होगा। 48 घण्टे के अन्दर कार्यमुक्त कर सकते थे तो क्यों नहीं किया इसके लिए आप माफी मांगें।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, कई लोगों ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की है। यह बात सही नहीं है। यदि भ्रष्टाचार को रोकना है तो ऊपर से शुरूआत होगी। मैं बधाई देता हूं कि छः महीने के अन्दर लोकपाल विधेयक लाकर हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में रिक्त पदों को भरने की मंशा प्रकट की है। जो राज्य के लिए लोगों द्वारा किये गये संघर्ष की भावना का सम्मान है।

मान्यवर, राज्य के चौमुखी विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार सड़कों के मास्टर प्लान के तहत 14 वर्षों तक राजनीतिक बनवास झेलने के बाद विगत 14 वर्षों में राज्य का स्तर गिरा है और विकास की सोच संकीर्ण हुई। उसे पुनः विकासपरक बनाने के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में हम सड़कों का निर्माण करेंगे। हमारी सरकार के द्वारा राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नई परिवहन नीति बनाने की बात कही गई है। जो परिवहन व्यवसाय में जुड़े लोगों के हितों की बात है, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया जिससे उनका सम्मान होगा।

मान्यवर, हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में विद्युत उत्पादन एवं प्रत्येक गांव को विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। जिन्हें आजादी के 50 सालों तक विद्युत उपलब्ध नहीं हो सकी, उनके घरों में उजाले की किरण पहुंचेगी, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा।

मान्यवर, अभी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात–चीत चल रही थी। हर जिले में एक बेस अस्पताल तथा तहसील स्तर पर 50 बैड के अस्पतालों की बात कही है। स्पष्ट लगता है कि हमारी सरकार आम जन सामान्य के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा जब स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यहां पर बात कही गयी तो मुझे लगा कि प्रतिपक्ष के कुछ लोग माननीय सदस्य अजय भट्ट जी पर ताने कसने की बात कर रहे थे। क्योंकि हमारी सरकार को 20 दिन हुए हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो चिन्ता इस अभिभाषण के द्वारा प्रकट की गयी है, उन्हें हमारी सरकार पूरा करने में सफल होगी।

मान्यवर, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की जो बात की गयी है, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वह एक मील का पत्थर साबित होगी। अभिभाषण की चर्चा के दौरान हमारे प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। मैं सरकार के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, आंदोलन में जो मातृ शक्ति की भागीदारी रही। हमारी सरकार ने महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कहकर मातृ शक्ति का सम्मान किया है।

शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णयों के लाभ दिलाने की बात कहकर हमारी सरकार ने शिक्षक समाज को सम्मान देने का कार्य किया है। मान्यवर, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रणाली

को रोजगारपरक बनाने की बात कहकर और खासकर परम्परागत हस्त कलाओं की बात कहकर हमारी सरकार ने 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। हमारी सरकार ने कहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें सफल होगी। हमारी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में छितरी हुई जोतों को चकबंदी करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। जिससे हमारे क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी और इससे हमारे कृषक की क्षमता बढ़ेगी।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर के लिए जो व्यापक कार्य योजना हमारी सरकार द्वारा बनाई गयी है, निःसंदेह हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का व्यापक अवसर प्रदान करेगी।

मान्यवर, वन विभाग में गांव वालों को पूर्ण हक–हकूक दिलाए जाने की बात हमारी सरकार ने की है। मुझे उम्मीद है कि खासकर मेरे क्षेत्र में ढालूवाला और तपोवन ऐसे क्षेत्र हैं, इसमें रहने वाले लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। मान्यवर, जड़ी–बूटी, लीसा, रिंगाल, भिमल, खैर, मूंज व भावर घास एवं काष्ठ पर आधारित लघु–उद्योगों के विकास की बात कही है, निःसंदेह इससे रोजगार बढ़ेगा। जो छोटे–छोटे वन डिपो खोलने की बात कही गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जहां एक ओर लकड़ी के अवैध कटान को रोक सकेंगे वहीं दूसरी ओर ग्रामीण–क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने में भी यह नीति सफल होगी। मान्यवर, सबसे बड़ा नया राज्य बनने के बाद जो मुझे महसूस हो रहा है चूंकि गढ़वाल मण्डल के विधानसभा क्षेत्रों में, जो कि मेरा भी विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक क्षेत्र ढालूवाला के नाम से वहां विकसित किया गया था। पिछले 12–13 वर्षों में सरकार की गलत नीतियों के कारण वह हमारा औद्योगिक क्षेत्र बन्दी की कगार पर है। रोड मास्टर इण्डस्ट्रीज नाम की एक फैक्ट्री उत्तरांचल में आने के बाद आज हमारे जो लोग प्रतिपक्ष में बैठे हैं, ने इस नए राज्य की बागडोर इन लोगों के हाथ लगी, इन लोगों ने ऐसी कोई नीति बनाने का काम नहीं किया जिससे कि हम लोग बाहर से उद्योगों को यहां आमंत्रित कर सकते। इनकी गलत नीतियों के कारण तमाम उद्योग जैसे आर0एम0आई0 बन्द हो गए और लोग बेरोजगार हो गए और मुझे उम्मीद है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उद्योगों को जो 24 घण्टे बिजली देने की बात कही है, उससे जहां पुराने उद्योग खुलेंगे, वहां नए उद्योगों को हमारी सरकार आमंत्रित करके इस राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का एक भागीरथ प्रयास करेगी। महोदय खनन पर आधारित उद्योगों की स्थापना और खनन उत्पादकों के विकास की जो बात हमारी सरकार ने कही है, बड़े भाई माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष–

श्री उनियाल जी कृपया आप बैठें, यह चर्चा कल जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से वि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सही बिल नहीं किए जाने विषयक माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है तथा जनपद पिथौरागढ़ के थरकोट नामक स्थान पर झील निर्माण विषयक माननीय श्री प्रकाश पन्त तथा वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण और उसकी आय के वितरण विषयक माननीय श्री निजामुद्दीन की अलग–अलग सूचनाओं को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

अब हम 22 मार्च, 2002 को प्रातः 11 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन सायं 05 बजे अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देहरादून
दिनांक : 21 मार्च, 2002

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 विधान सभा/256–01–10–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।